



LIFE
Lifestyle for
Environment



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत- कमरौली

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

अमेठी





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- कमरौली

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री राकेश कुमार मिश्र, आईएएस, ज़िला मजिस्ट्रेट, अमेठी
श्री सूरज पटेल, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिया सेठिया, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, कमरौली

सुश्री यासमीन

क्षेत्र शोध समर्थन

पानी (PANI)

श्री राजीव मिश्र, श्री शिवानंद शुक्ल, श्री अवधेश दुबे

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया

राकेश कुमार मिश्र,
(IAS)



जिलाधिकारी, अमेठी (उ०प्र०)
कार्यालय : 05368-244577
आवास : 05368-244300
फैक्स : 05368-244211
मोबाइल : 9454418891
Email : dmamethi-up@nic.in
अर्द्ध०शा०सं०- दिनांक-




संदेश

ग्राम पंचायत को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कमरौली, विकास खण्ड जगदीशपुर जनपद-अमेठी की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारे समुदाय, हमारी परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायत हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउन्डेशन नई दिल्ली तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी०ई०ए०जी०) गोरखपुर, उ०प्र० तथा पानी संस्थान, उ०प्र० को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !


(राकेश कुमार मिश्र)

सूरज पटेल,
(IAS)

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-अमेठी



संदेश


मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउन्डेशन नई दिल्ली तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी0ई0ए0जी0) गोरखपुर , उ0प्र0 तथा पानी संस्थान ,उ0प्र0 के समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं का बढावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते है, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते है जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते है।

धन्यवाद !

1/1/21

(सूरज पटेल)

ग्राम पंचायत- कमरौली

विकास खण्ड- जगदीशपुर, तहसील- मुसाफिरखाना, जिला- अमेठी (उ.प्र.) 227809

प्रधान

यासमीन

मो0- 9839747690

निवास- कमरौली
पोस्ट- कमरौली
विकास खण्ड- जगदीशपुर
तहसील- मुसाफिरखाना
जिला- अमेठी

पत्रांक 01-2024

दिनांक 21-01-2024

सेवा मे

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत कमरौली, विकास खण्ड जगदीशपुर,

जनपद अमेठी।

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत कमरौली, विकास खण्ड जगदीशपुर, जनपद अमेठी की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ की है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आकड़ों को एकत्र किया गया। आकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में कियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी) गोरखपुर तथा पानी संस्थान, उ0प्र0 का तथा आकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सभी साथ मिलकर हमारे पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, की भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का अग्रह करती हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

ग्राम पंचायत कमरौली (प्रधान)
#0 प्रधान यासमीन
दिनांक.
227809-जगदीशपुर ग्राम पंचायत कमरौली

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	1. कमरौली ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि एवं पशुपालन	7
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. कमरौली में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित मुद्दाव	12
	1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	13
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	17
	3. सतत कृषि	21
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27
	5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	32
	6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	42
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	46
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	50
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	56
8	आगे की राह	62
9	अनुलग्नक	63

चित्र

चित्र 1	: कमरौली ग्राम पंचायत, अमेठी जिले का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: कमरौली में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1990-2020	6
चित्र 3	: 1990 और 2020 के बीच कमरौली ग्राम पंचायत में वार्षिक वर्षा	6
चित्र 4	: कमरौली में परिवारों की संख्या के अनुसार आय के स्रोत	6
चित्र 5	: कमरौली में पारिवारिक आय (रुपये में) का अनुमान	6
चित्र 6	: कमरौली में राशन कार्ड वाले परिवार	6
चित्र 7	: कमरौली में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: ग्राम पंचायत में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9	: सिंचाई के प्रकार के आधार पर कृषि भूमि का वितरण	9
चित्र 10	: कमरौली में पशुधन वितरण	9
चित्र 11	: 2022 में कमरौली में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 12	: 2022 में कमरौली के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10

उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले की कमरौली ग्राम पंचायत मध्य-मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कमरौली की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना पंचायत स्तर पर जलवायु सम्बन्धी गतिविधियों को मजबूत करने और इसे 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए ड्राफ्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है। कमरौली के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे कमरौली पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ सरल और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलु, मध्य-मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे, जलवायु परिवर्तनशीलता, पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्र सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चा व संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों से एकत्र किए गए सुझाव भी सम्मिलित हैं। इससे आधार रेखा बनाने और कमरौली के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत कमरौली में एक राजस्व गांव, पांच मजरे और 670 घर हैं जिनकी कुल आबादी 4,515 है¹। पंचायत में मुख्य आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन और उद्योगों में दैनिक मजदूरी करना शामिल है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि ग्राम पंचायत

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

आंकड़ों का मूल्यांकन और योजना की तैयारी:

- ग्राम पंचायत प्रोफाइल का विकास: सर्वेक्षण प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत प्रोफाइल का निर्माण किया गया। इस प्रोफाइल में कमरौली क्षेत्र की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं सम्मिलित हैं।
- मुख्य समस्याओं की पहचान करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) (HRVC) से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मुख्य विकास संबंधी और पर्यावरणीय समस्याओं की एक सूची विकसित की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: कमरौली के मुख्य गतिविधियाँ* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित सुझाव: पहचाने गए पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के आधार पर कमरौली के लिए सुझाव विकसित किए गए हैं। यह सुझाव मध्य-मैदानी इलाकों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, कमरौली की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का भी निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना के विकास के लिए सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ेगी।

- * सम्मिलित गतिविधियाँ की सूची: आवासीय खाना पकाना, बिजली की खपत, डीज़ल पंप से होने वाले उत्सर्जन, यातायात, फ़सल अपशिष्ट दहन, पशुधन, उत्सर्जन, खाद उत्सर्जन, चावल की खेती एवं घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन के साथ-साथ खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है।
2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 4,228

कमरौली का कार्बन फुटप्रिंट ~2,730 tCO₂e³ है।

कमरौली में त्वरित कार्य करने हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

- यातायात क्षेत्र के लिए पेट्रोल/डीजल और घरेलू भोजन पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों (लकड़ी, उपले आदि) पर निर्भरता को कम करना
- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा कुशल/ दक्ष समाधानों का उपयोग करना, जैसे कि सोलर रूफटॉप, सोलर-संचालित पम्प, और घरों और सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा कुशल/दक्ष फिक्स्चर आदि।
- सड़कों के किनारे, खेतों में, नदी/तालाबों के आसपास एवं अन्य उपलब्ध सामान्य भूमि में हरित क्षेत्रों/हरियाली को बढ़ाना
- जल सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं भूमि व जल प्रदूषण को कम करने हेतु औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करना

समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान उभर के आए मुद्दों, संवेदनशील क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। यह सुझाव कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थलों को बढ़ावा देना, सतत कचरा प्रबंधन, सतत आवागमन, व बेहतर आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयों को समाहित करते हुए तैयार की गयी है।

इन सुझावों/गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035) हैं। इनके लक्ष्यों को ग्राम पंचायत अपने विवेकानुसार वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित कर सकती हैं। साथ ही, चरणवार लक्ष्यों, अनुमानित लागत व केंद्र और राज्य में संचालित योजनाओं के साथ सुझावों के रूप में दी गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित स्रोत भी प्रदान किए गए हैं।

कमरौली ग्राम पंचायत के लिए तैयार जलवायु कुशल ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस तरह विकसित किया गया है कि इसकी गतिविधियों का अभिसरण सुगम और प्रभावकारी रूप से वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) (GDPDP) की गतिविधियों के साथ करना संभव होगा।

इस प्रकार सीएसजीपीएपी जीपीडीपी को और सुदृढ़ बनाएगी:

- यह वर्तमान विकास कार्य एवं गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को जोड़ेगी

कार्ययोजना के अंतर्गत गतिविधियों और वार्षिक लक्ष्यों को जीपीडीपी (GDPDP) की तय गतिविधियों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। जीपीडीपी (GDPDP) के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट का कुछ हिस्सा योजना के अनुकूलन और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) (MGNREGA) जैसी योजनाओं के तहत तालाबों, नदियों में पानी के स्तर को बढ़ाने से ग्राम पंचायत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने का कार्य कुशलता से कर सकेगी इसी तरह, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी(GDPDP) के आधार) के "गैर-पारंपरिक ऊर्जा" विषय के तहत निर्धारित धन का उपयोग अक्षय ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान लगभग 17,304 tCO₂e प्रति वर्ष हो सकता है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 68,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹29 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित सीएसआर निधि सम्मिलित है। इस आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/ मिशनों /कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत-निजी-भागीदारी (पीपीपी) समझौता ज्ञापन कमरौली ग्राम पंचायत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और इंडोरामा इंडिया प्रा. लिमिटेड ने ग्राम पंचायत में सीएसआर समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया।



3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ें और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक के अनुसार)

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



हरित स्थानों और जैवविविधता को बेहतर बनाना

सतत कृषि



सतत और उन्नत गतिशीलता




सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



जल निकायों का प्रबंधन और कार्याकल्प



जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना













स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच



समुदायों की सहन शक्ति बढ़ाना

कमरौली

कमरौली ग्राम पंचायत एक नज़र में†

	स्थान	विकास खंड जगदीशपुर, जनपद अमेठी
	कुल क्षेत्रफल⁴	380.86 हेक्टेयर
	संघटन	1 राजस्व गांव और 5 टोले
	कुल जनसंख्या⁵	4,515
	पुरुषों की संख्या	2,506
	महिलाओं की संख्या	2,009
	कुल परिवार⁶	670
	पंचायत अवसंरचना	3 - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	पशुपालन और उद्योगों में मजदूरी
	प्रमुख उद्योग	BHEL, इंडोरामा केमिकल्स, बेकरी

भूमि उपयोग

कृषि भूमि
179.2 हेक्टेयर

सार्वजनिक भूमि
~42.5 हेक्टेयर
(अधिकांश भाग SIDCO द्वारा अधिग्रहित है)

20 निजी उद्यान

शेष भूमि
159.1 हेक्टेयर



जल संसाधन 19 तालाब
26 कुएं

कृषि-जलवायु क्षेत्र⁷

मध्य मैदान

- जलवायु परिस्थितियाँ: मध्यम वर्षा के साथ गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ
- अधिकतम तापमान: 45°C
- न्यूनतम तापमान: 5.5°C
- वार्षिक वर्षा: 863 मिमी
- मिट्टी का प्रकार- जलोढ़, pH सामान्य से थोड़ा क्षारीय और मध्यम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो गेहूं, गन्ना और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।

जिले की समग्र सुभेद्यता⁸

उच्च

4 इसरो के भुवन (BHUVAN) पोर्टल का डेटा


† योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण का डेटा (फरवरी-मार्च, 2023))

5 प्रारंभिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े जनसंख्या- 5265; पुरुष-2879; महिलाएँ-2386
जनगणना 2011 के डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या-4228; पुरुष- 2312; महिलाएँ-1916

6 633 पक्के मकान और 37 कच्चे मकान (मिट्टी, खपरैल वाले)

7 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

8 उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना के लिए स्कोपिंग मूल्यांकन, DoE, GoUPI UP SAPCC 2.0 में अमेठी की संवेदनशीलता उपलब्ध नहीं है।



चित्र 1: कमरौली ग्राम पंचायत, अमेठी जिले का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल


भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)⁹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़े (तापमान और वर्षा) से पता चलता है कि 2020 में, वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में 1990 की तुलना में 4.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई, जबकि वार्षिक अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है (चित्र 2 देखें)। उसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में थोड़ी कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ों से पंचायत स्तर की तापमान परिवर्तनशीलता का विवरण मुश्किल है और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नवीन रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच एशिया समग्र रूप से वैश्विक भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।¹⁰ इसी प्रकार के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी¹¹ व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार¹² द्वारा भी की गई है।


इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 25 दिनों की वृद्धि हुई है। शीतकाल के दिन लगभग 20 दिन कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वर्षा के दिनों की संख्या में भी लगभग 7-8 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के बारे में संतुलित दृष्टिकोण सामने लाने के लिए आईएमडी डेटा के साथ-साथ सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

9 बाराबंकी, फुरसतगंज, फैजाबाद, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर 1 स्टेशनों (कमरौली जीपी के निकटतम आईएमडी स्टेशन) से लिए गए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा
 10 "https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023" एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)
 11 "https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/" AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)
 12 "https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2" भारतीय क्षेत्र में जलवायुपरिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | सिंगरलिक



चित्र 2: कमरौली में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1990-2020




चित्र 3: 1990 और 2020 के बीच कमरौली ग्राम पंचायत में वार्षिक वर्षा


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

क्षेत्रीय सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कमरौली में पशुपालन आय का प्रमुख स्रोत है व 32% परिवार इसमें संलग्न हैं। अन्य परिवार कृषि (25%) और स्थानीय दुकानों और उद्योगों में मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)।


केंद्रित समूह चर्चा से प्राप्त पारिवारिक आय के अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 45% परिवार 50,000 रुपये प्रतिवर्ष से कम और केवल 5% परिवार 5,00,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के दौरान, कमरौली में 195 बीपीएल परिवार (कुल जनसंख्या का ~29%) थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 91% परिवारों के पास राशन कार्ड हैं और ये सभी सार्वजनिक वितरण योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिनमें से 15% परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं (चित्र 6 देखें)।



चित्र 4: कमरौली में परिवारों की संख्या के अनुसार आय के स्रोत



चित्र 5: कमरौली में पारिवारिक आय (रुपये में) का अनुमान




चित्र 6: कमरौली में राशन कार्ड वाले परिवार

क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 33 परिवार बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्राम पंचायत से बड़े महानगरीय क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं।

कार्यरत महिलाएं


कमरौली की अधिकांश महिलायें पशुपालन और कृषि से जुड़ी हैं। कुछ महिलायें सेवा क्षेत्रों जैसे शिक्षण, बैंकिंग आदि से भी जुड़ी हैं, जबकि कुछ पास के उद्योगों में मजदूरी करती हैं (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 48 ऐसे घर (कुल घरों का ~7%) हैं, जिनकी मुखिया महिलायें हैं¹³। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से यह भी पता चला है कि कमरौली में 6 स्वयं सहायता समूह हैं जो ज्यादातर कृषि और पशुपालन गतिविधियों में संलग्न हैं।



चित्र 7: कमरौली में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

कृषि एवं पशुपालन

कृषि पर निर्भर आधे से अधिक परिवार मजदूरी करते हैं¹⁴, जबकि शेष परिवार अपनी जमीन पर कृषि करते हैं (चित्र 8 देखें)।




चित्र 8: ग्राम पंचायत में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

ग्राम पंचायत का कुल बुवाई क्षेत्र 179.82 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 220 हेक्टेयर है। यहाँ होने वाली प्रमुख खरीफ फसल धान (~3,780 क्विन्टल) है, और प्रमुख रबी फसलें गेहूँ (~2,800 क्विन्टल) और सरसों (~24 क्विन्टल) हैं; कमरौली में सब्जियों की भी खेती की जाती है। अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई पारंपरिक तरीकों (खुली नाली और पाइप सिंचाई) और नहरों के माध्यम से की जाती है। ग्राम पंचायत सिंचाई के लिए डीजल पंपों (17 पंपसेट) पर निर्भर है; इसके अतिरिक्त, 40 से अधिक विद्युत पंप भी हैं।


13 महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

14 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में संलग्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे भूमि मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

यहां डेयरी और मुर्गी पालन भी किया जाता है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 650 है, जिसमें 150 गायें (हायब्रिड और स्वदेशी), 293 भैंसें और 207 बकरियां हैं। चित्र 10 में कमरौली ग्राम पंचायत में पशुधन का वितरण दिया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत में पोल्ट्री आबादी 10,000 से अधिक है, जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है।



चित्र 9: सिंचाई के प्रकार के आधार पर कृषि भूमि का वितरण



चित्र 10: कमरौली में पशुधन वितरण

प्राकृतिक संसाधन

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण में दर्शाया गया है, ग्राम पंचायत की सीमा में 8 हेक्टेयर वन भूमि है। ग्राम पंचायत के पास लगभग 42.5 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि भी है, हालाँकि, उपलब्ध सार्वजनिक भूमि को राज्य उद्योग विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित किया गया है। कमरौली में कुल 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गई हैं। यूकेलिप्टस, आम, कदंब और नींबू आम तौर पर लगाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। कमरौली में 20 निजी फलों के बगीचे (आम, अमरूद आदि) हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से कुछ वृक्षारोपण गतिविधियाँ भी की गई हैं। कमरौली में फलों के 20 निजी बाग (आम, अमरूद आदि) हैं। यहाँ बांस और नीलगिरी के वृक्ष भी हैं¹⁵। कमरौली में 19 जलाशय और 26 कुएं हैं।

15 फ्रील्ड सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त सुझावों के अनुसार

कमरौली में सुविधाएं

बिजली और एलपीजी

- बिजली की पहुंच: 97.5% घरों तक
- एलपीजी (LPG): 91% परिवार



जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत - भूजल
- 19 तालाब और 26 कुएँ
- 60 इंडिया मार्क हैंडपंप




अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा प्राप्त
- घरेलू शौचालय: ~40%



गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 56) - 0 किमी
- निकटतम रेलवे स्टेशन - 1 किमी
- निकटतम बस स्टॉप - 8 किमी
- निकटतम डाकघर- 0.8 किमी
- निकटतम बैंक-1 किमी
- निकटतम कृषि बाज़ार - 1 किमी




शिक्षा

- सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल

स्वास्थ्य संस्थान


- निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- 8 किमी



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, प्रस्तावित सुझावों से उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत कमरौली में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लगभग 2,730.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया गया है (चित्र 11 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने कमरौली के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁶, खाना पकाने के लिए लकड़ी और एलपीजी के दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर के उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन व फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 11: 2022 में कमरौली में विभिन्न गतिविधियों के कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 69 प्रतिशत है। सेक्टर के भीतर, बिजली की खपत प्रमुख उत्सर्जक (~1,260 tCO₂e) है, इसके बाद आवासीय पाककला (~332 tCO₂e) और परिवहन (~268 tCO₂e) का स्थान है। कमरौली पंचायत के कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन 24 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~331 tCO₂e) और धान की खेती (~246 tCO₂e) जीएचजी उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत है (चित्र 12 देखें)।



चित्र 12: 2022 में कमरौली के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

16 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

पहचाने गए व्यापक मुद्दे पंचायत की आधारभूत रेखा/बेसलाइन को स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों तथा समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से भी की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूर्ण रूप से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे संबंधित विषयों के अनुशंसा अनुभाग/सुझावों में सूचीबद्ध किए गए हैं।

- मौसमी अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अलावा बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जुलाई से अगस्त में बार-बार सूखा पड़ता है और अगस्त से अक्टूबर में हर वर्ष जलभराव की समस्या होती है
- अस्थायी कृषि एवं पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव का आभाव
- आवासीय, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- ग्राम पंचायत के अंदर एवं बाहर सीमित कनेक्टिविटी/सीमित पैरा-ट्रांजिट सुविधाएँ
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान देने के साथ कई हस्तक्षेप शामिल हैं, जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। हस्तक्षेपों को चरणबद्ध लक्ष्यों और अनुमानित लागत के साथ वर्णित किया गया है¹⁷ (जहाँ तक संभव हो)। लक्ष्य तीन चरणों में विभाजित हैं: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में वितरित किया जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य विकसित करने का खाका "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" से संदर्भित किया जा सकता है। एसओपी एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या अन्य हितधारकों द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जाता है।


चिह्नित किये गए वित्तपोषण के स्रोतों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाईड और अनटाईड निधि या सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त शामिल हैं। विस्तृत गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

कार्ययोजना में सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. सतत कृषि
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका एवं हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची बनाई गई है जो भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं और ग्राम पंचायत में भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन प्रयासों को प्रदेश कि किसी योजनाओं या कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण इन प्रयासों के हेतु वित्त कि उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर व निजी स्रोतों के द्वारा की जा सकती है। इस कारण इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

17 प्रस्तावित लागतों को विभिन्न तरीकों के आधार पर अनुमानित कर वर्णित किया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त सुझाव, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, या आवश्यक इनपुट की प्रति यूनिट अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों के दरों की अनुसूची।



1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ एवं मुद्दे

- कमरौली में 8 हेक्टेयर का सीमांकित वन क्षेत्र है।
- ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण गतिविधियाँ लगभग 2 हेक्टेयर भूमि में की गई हैं। कमरौली में 20 निजी फलों के बाग (आम, अमरूद आदि) हैं¹⁸। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत कुछ वृक्षारोपण की पहल भी की गई है। रोपण के दौरान लगाई गई प्रमुख प्रजातियों में आम, कदंब, नीलगिरी और नींबू शामिल हैं।

कमरौली ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्र को बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल तापमान को संतुलित करने में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार करने में भी मदद करेगा।



हरित क्षेत्रों में वृद्धि

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	1. वार्षिक जनसमुदाय-द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियाँ ¹⁹ <ul style="list-style-type: none"> » ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम²⁰ (5 छात्र चयनित) » देसी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण²¹ 	1. बाल वन ²² के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और संवर्धन	1. वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव - बाल वन और अन्य वृक्षारोपण

18 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है

19 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

20 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

21 स्कूली छात्र पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक कक्षा से कुछ छात्र लीडर्स को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत जनसमुदाय को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

22 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

2. आरोग्य वन बनाना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों²³, पौधों का वृक्षारोपण करना।

चूंकि ग्राम पंचायत (SIDCO के अंतर्गत होने के कारण) में सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए एजेंसी को इन पहलों में मदद करने के लिए बफर जोन के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सफल वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के लिए जनसमुदाय और उद्योग समन्वय कर सकते हैं।

2. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
3. आरोग्य वन बनाना

2. कृषि-वानिकी पहल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार
3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरक आहार के उत्पादन के लिए इकाइयाँ लगाना

1. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 500 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोग से) 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1400 tCO₂e से 1800 tCO₂e तक।
2. आरोग्य वन बनाने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकित की जाएगी।

1. सड़कों, रास्तों और जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 500 पौधे लगाना, जिससे 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1400 tCO₂e से 1800 tCO₂e की जाएगी।
2. 20 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि में कृषि वानिकी लगाना²⁴ (2,000 पेड़ लगाए जाएंगे) (सागौन की पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 11,200 tCO₂e से 20,000 tCO₂e)
3. आरोग्य वन लगाना एवं रख-रखाव
4. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण

1. सड़कों, रास्तों और जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1000 पौधे लगाना 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,800 tCO₂e से 4,800 tCO₂e
2. 40 हेक्टेयर भूमि पर कृषि वानिकी और 4,000 पेड़ लगाना (सागौन की पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 22,400 tCO₂e से 39,600 tCO₂e)
3. आरोग्य वन का रख-रखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन (अनुभाग के अनुसार 'आजीविका और हरित व्यवसायों को बढ़ाना')

23 अनुलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

24 उपयुक्त भूमि में कृषि वानिकी अपनाई गई। यहां हमने कुल 60 हेक्टेयर (सब्जियां) पर विचार किया है।

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण की कुल लागत:
₹6,50,000

1. वृक्षारोपण की कुल लागत:
₹12,70,000- 19,05,000
 2. कृषि वानिकी की लागत:
₹8,00,000
- कुल लागत: ~ ₹27,05,000

1. वृक्षारोपण की कुल लागत:
₹12,70,000- 19,05,000
 2. कृषि वानिकी की लागत:
₹16,00,000
- कुल लागत: ~ ₹35,05,000



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को जनसहभागिता से अद्यतन करना 2. जनसमुदाय और सभी हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को नियमित अद्यतन करना 2. सभी हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को नियमित अद्यतन करना 2. सभी हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता विकास 2. जन जैवविविधता रजिस्टर को जनसहभागिता से अपडेट करना 	जैवविविधता रजिस्टर को जनसहभागिता से अपडेट करना	जैवविविधता रजिस्टर को जनसहभागिता से अपडेट करना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) के गठन, पंजीकरण और प्रशिक्षण की लागत लगभग ²⁵ ₹25,000	-	-

25 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ.प्र. राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों का समन्वय और संचालन किया जा सकता है।
- उ.प्र. राज्य प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य CAMPA निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में वृद्धि, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है जिसमें स्थानीय जनसमुदाय श्रमदान कर सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी पर उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर पर ₹28,000 रुपये
 - » वृक्षारोपण के लिए निधि चार वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में वर्ष-वार प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन लगाने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों की मदद ली जा सकती है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के आय स्रोत (OSR) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए CSR फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन लगाने और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाई लगाने के लिए किया जा सकता है जैसा कि "आजीविका बढ़ाने और हरित व्यवसाय में वृद्धि" के सुझावों में दिया गया है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- समाज कल्याण निर्माण निगम (सिडको) और जिला उद्योग केंद्र
- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग



2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत कमरौली में कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए जल का प्राथमिक स्रोत भूजल है²⁶।
- वर्ष 2022, 2021 और 2018 के बीच जून से अगस्त के महीनों में लगातार सूखे की घटनाएं घटित हुईं। इस कारण, कमरौली में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है²⁷।
- कमरौली में 19 तालाब और 26 कुएं हैं, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव पर्याप्त नहीं है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं इसलिए उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- कमरौली में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष रूप से मानसून के मौसम में - जून से अक्टूबर तक। यह अपर्याप्त और खराब रखरखाव वाले बुनियादी जल निकासी ढांचे के कारण अधिक गंभीर हो गया है।
- भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

कमरौली में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों-पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और स्कूल में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण गांव/बस्ती स्तर पर पानी समिति या ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC) या जल उपयोगकर्ता समिति की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का अनिवार्य निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का अनिवार्य निर्माण

26 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय द्वारा बताया गया है

27 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय द्वारा बताया गया है

लक्ष्य

सरकारी भवनों में 4 वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण - 1 पंचायत भवन, 2 स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र

- 156 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण
- जनसमुदाय और अन्य सभी हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना

- 60 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण
- जनसमुदाय और अन्य सभी हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना

अनुमानित लागत

कुल लागत (10 m³ क्षमता के रिचार्ज गड्ढे वाली 4 RWH अवसंरचनाएं):
₹1,40,000

कुल लागत: ₹1,40,000

कुल लागत (10 m³ क्षमता के रिचार्ज गड्ढे वाली 160 RWH अवसंरचनाएं):
₹55,00,000

कुल लागत: ₹55,00,000

कुल लागत (10 m³ क्षमता के रिचार्ज गड्ढे वाली 60 RWH अवसंरचनाएं):
₹21,00,000

कुल लागत: ₹21,00,000



जल निकायों का रखरखाव

चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालना
- कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार
- रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- जल स्रोतों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- सभी जल स्रोतों का रख-रखाव एवं प्रबंधन

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- सभी जल स्रोतों का रख-रखाव एवं प्रबंधन

लक्ष्य

- गोधोटवा पोखरा (1.5 एकड़) और चौथैया पोखरा (1 एकड़) सहित अन्य 19 जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालना
- 26 कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार
- 4 रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- आम और लुप्तप्राय पेड़ों के 500 पौधे चारों ओर लगाया जाना और वृक्षों की कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- सभी 19 जल स्रोतों का नियमित रख-रखाव
- 26 कुओं का आवधिक रख-रखाव
- जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 500 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज गड्ढों का निर्माण
- सभी 19 जल स्रोतों का नियमित रख-रखाव
- 26 कुओं का आवधिक रख-रखाव
- जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 19 जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालने की कुल लागत- ₹1,33,00,000 26 कुओं की सफाई और मरम्मत की कुल लागत: ₹2,00,000 वृक्षारोपण की कुल लागत: (हरित स्थान अनुभाग देखें) 20 रिचार्ज गड्ढे के निर्माण की लागत लगभग ₹6,00,000 <p>कुल लागत: ₹1,42,20,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> लागत: आवश्यकता के अनुसार 19 जल स्रोतों के रखरखाव की लागत लगभग ₹71,25,000 26 कुओं का रखरखाव: ₹2,00,000 वृक्षारोपण की कुल लागत: (ग्रीन स्पेस अनुभाग देखें) <p>कुल लागत: ₹73,25,300</p>	<ol style="list-style-type: none"> लागत: आवश्यकता के अनुसार 19 जल स्रोतों के रखरखाव की लागत लगभग ₹71,25,000 26 कुओं का रखरखाव: ₹2,00,000 वृक्षारोपण की कुल लागत: (हरित स्थान अनुभाग देखें) <p>कुल लागत: ₹73,25,300</p>
---	---	--



जल निकासी एवं सीवरेज अवसंरचना के बुनियादी ढांचे में सुधार

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न स्थानों पर नवीन नाली निर्माण (महागुपुर, अकबर पुर, कमरौली) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रा0 के अंतर्गत घरेलू शौचालय कवरेज का विस्तार 	<ol style="list-style-type: none"> जलजमाव से बचने के लिए सभी नालियों का नियमित रखरखाव आवश्यकता के अनुसार घरेलू शौचालय कवरेज और विस्तार। सभी नए निर्माणों के साथ-साथ अनिवार्य शौचालय 	जलजमाव से बचने के लिए सभी नालियों का नियमित रखरखाव

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 2,300 मीटर नालियों का निर्माण²⁸ 200 घरेलू शौचालयों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान बुनियादी अवसंरचना का रखरखाव 200 अतिरिक्त घरेलू शौचालयों का निर्माण 	वर्तमान बुनियादी अवसंरचना का रखरखाव
---	---	-------------------------------------

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> नालों के निर्माण की कुल अनुमानित लागत ₹78,42,000 200 शौचालयों के निर्माण की कुल लागत: ₹30,00,000 <p>कुल लागत: ₹1,08,42,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> लागत: रखरखाव कार्यों के लिए आवश्यकता के अनुसार 200 शौचालयों के निर्माण की कुल लागत: ₹30,00,000 <p>कुल लागत: ₹30,00,000</p>	लागत: आवश्यकता के अनुसार
---	---	--------------------------

28 नालियों के स्थान विनिर्देशों के लिए HRVCA देखें

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ बनाई जा सकती हैं।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उ.प्र. राज्य का वार्षिक बजट ग्राम पंचायत स्तर के जल स्रोत संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक बजट और प्रधान मंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल स्रोतों और कुओं के रखरखाव और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/CSR को 'जल स्रोत अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग
- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- समाज कल्याण निर्माण निगम (सिडको)
- जिला उद्योग केंद्र



3. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे

- कमरौली में कृषि का कुल क्षेत्रफल लगभग 179.2 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 220 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 32% परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं और 25% परिवार आय के स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (~70 हेक्टेयर), धान (~63 हेक्टेयर), और सरसों (~4 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत में वर्ष 2022, 2021 और 2018 में जून-अगस्त के माह में 3 सूखे की घटनाओं का अनुभव किया गया है, इससे सिंचाई की लागत में बढ़ोतरी, फसल का नुकसान और चारे का अभाव हुआ है²⁹।
- प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान, जलभराव से लगभग 14 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होती है³⁰।
- वर्षा में देरी और सूखे के कारण धान की बुआई का समय जून से जुलाई के पहले सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है। गेहूं के मामले में, बुआई के दौरान मिट्टी में नमी की कमी के कारण बुआई का समय नवंबर-दूसरे सप्ताह से दिसंबर के अंत तक स्थानांतरित हो गया है³¹।
- वर्ष 2022 और 2018 में अनियमित वर्षा व ओलावृष्टि के साथ-साथ बीमारियों से भी फसल को नुकसान हुआ है। लगभग 760 क्विंटल उपज या लगभग रु. 14 लाख का नुकसान हुआ। (संबंधित वर्षों के प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा पुष्टि)।
- किसान प्रति वर्ष लगभग 46 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष लगभग 94 टन CO₂e ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। कमरौली में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल का उपयोग बढ़ गया है, जिसमें जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं

29 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से इनपुट के आधार पर

30 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

31 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जीपी द्वारा रिपोर्ट किया गया है



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none">1. ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना2. जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों के साथ-साथ बाड़ लगाना3. कृषि तालाबों का निर्माण4. चावल की कम पानी वाली किस्म को अपनाना और ड्राई डायरेक्ट-सीडेड राइस को अपनाना5. गेहूं की कम पानी वाली किस्म को अपनाना6. किसान तिल, उड़द, बाजरा और अन्य कम पानी में होने वाली फसलें अपनाना³²7. किसानों को फसल क्षति से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना	<ol style="list-style-type: none">1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार2. कृषि क्षेत्र के चारों ओर बांधों और बाड़ का विस्तार3. अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण4. कम पानी वाली किस्में अपनाने की चरण 1 गतिविधियों का विस्तार5. बाजरा और दलहन जैसी कम पानी वाली फसलों के साथ फसल चक्र और मिश्रित फसल6. किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और सहायता प्रदान करना	<ol style="list-style-type: none">1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार2. बांधों का रख-रखाव और वृक्षारोपण तथा बाड़ लगाना3. अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार)4. वर्तमान कृषि तालाबों का रख-रखाव5. चावल और गेहूं की कम पानी वाली किस्मों को अपनाना6. बाजरा और दलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाना

लक्ष्य

1. ~4 हेक्टेयर (सरसों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ
2. ~90 हेक्टेयर कृषि भूमि के चारों ओर पेड़ों और बाड़ के साथ मेड़ (बाड़ सौर ऊर्जा से भी संचालित हो सकती है, बाड़ के लिए विद्युत स्रोत पर कृषि-फोटोवोल्टिक अनुभाग देखें)
3. 300 m³ क्षमता वाले 5 कृषि तालाबों का निर्माण
4. कम पानी वाली फसल की किस्मों को अपनाने के बारे में जानकारी का प्रसार और प्रशिक्षण

1. ज़रूरत अनुसार कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
2. लगभग 90 हेक्टेयर में पेड़ों और बाड़ के आसपास मेड़
3. आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण
4. कम पानी वाली फसल की किस्मों को अपनाने के बारे में जानकारी का प्रसार और प्रशिक्षण

1. ज़रूरत अनुसार कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
2. बांधों और कृषि तालाबों का रख-रखाव

अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई - ₹4,00,000
2. बांध निर्माण: लगभग ₹9,00,000
3. कृषि तालाब: ₹4,50,000
कुल लागत: लगभग ₹17,50,000

1. बांध निर्माण लगभग ₹9,00,000
2. कृषि तालाब- आवश्यकतानुसार लागत
कुल लागत: लगभग ₹9,00,000

आवश्यकता के अनुसार



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

सुझाई गई क्लाउडमोट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ पैरा-पशु चिकित्सक या पैरा-वेट के रूप में प्रशिक्षित करना
3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर कार्य करने हेतु अनुभाग अतिरिक्त सुझाव से संदर्भ लें।

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना

लक्ष्य

1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी पशुपालन प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. 2 पैरा-वेट³³ का प्रशिक्षण का करना

1. रोग की रोकथाम और स्थायी पशुपालन प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना
2. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. रोग की रोकथाम और स्थायी पशुपालन प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना
2. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



ओलावृष्टि की चेतावनी के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लगाना

चरण**सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ**

I
2024-25 से 2026-27

1. किसानों के लिए विशेष रूप से ओलावृष्टि की चेतावनी के लिए मौसम और खराब मौसम की सूचना के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग आदि से जानकारी का नियमित और समय पर प्रसार सुनिश्चित करना।
2. किसानों को स्थानीय मौसम की स्थिति के बारे में नियमित और समय पर जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत में प्रमुख स्थानों पर 3-4 मिनी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना।

II
2027-28 से 2029-30

चरण I की गतिविधियों का विस्तार

III
2030-31 से 2034-35

पिछले चरण की गतिविधियों का विस्तार

33 पंचायत की आवश्यकता के आधार पर समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना

लक्ष्य

कृषि क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर 1 मिनी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना

कृषि क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर 4 और मिनी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना - लंबी अवधि में ये अत्यधिक स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेंगे।

अधिक छोटे वेदर स्टेशन जोड़े जाएंगे और वर्तमान मौसम स्टेशनों को कृषि विज्ञान केंद्र और नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग और क्षमता वृद्धि के साथ बनाए रखा जाएगा।

अनुमानित लागत

मिनी मौसम स्टेशन की लागत: ₹1,50,000

मिनी मौसम स्टेशनों की लागत: ₹6,00,000

आवश्यकता के अनुसार लागत



प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना

चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

- » प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण शुरू करना
- » बाजार उपलब्धता और उनके जुड़ाव के बारे में पता लगाना

चरण I की गतिविधियों का विस्तार

पिछले चरण की गतिविधियों का विस्तार

लक्ष्य

40 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलना

80 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलना

60 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलना

अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000
2. सार्वजनिक भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने की लागत ₹98,80,000

कुल लागत : लगभग ₹99,40,000

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000
2. सार्वजनिक भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने की लागत ₹ 1,97,60,000

कुल लागत : लगभग ₹1,98,20,000

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000
2. सार्वजनिक भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने की लागत ₹1,48,20,000

कुल लागत : लगभग ₹1,48,80,000

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धनराशि और सब्सिडी प्राप्त कर अकाल प्रबंधन और अकाल राहत गतिविधियों को किया जा सकता है।
- अकाल राहत गतिविधि, नर्सरी और बीज बैंकों के स्थापना कार्यों को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती गतिविधियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी द्वारा समर्थन दिया जा सकता है, जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ) (NCOF & RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनके लिए जैविक खेती प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जा सकता है।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) (ATMA) की सहायता से किसानों और एफपीओ (FPOs) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास सत्रों का आयोजन और उनकी प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत कृषि संबंधी जानकारी में वृद्धि की जा सकती है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण में किसानों की सहायता करती है और जैव रसायनों के उपयोग का प्रचार भी करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक अर्थात् पैरा-वेट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता" अनुभाग में दी गई योजनाओं के अनुरूप)
 - » फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: प्राकृतिक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के संबंधित स्रोतों, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाओं के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभों के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, प्राकृतिक खेती में परिवर्तन, कम पानी वाली कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि गतिविधियों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि करना।
- इसके अतिरिक्त, कमरौली में सतत कृषि में संलग्न किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता वृद्धि का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- प्राकृतिक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, अमेठी



4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा³⁴ लगभग 361 किलोग्राम प्रति दिन है, जिसमें ~210 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट और ~151 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल /अजैविक कचरा है।
- कमरौली में अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के भीतर जल निकायों और खाली भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जा रहा है³⁵। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित होते हैं। मानसून के दौरान नालियों में रुकावट के कारण जलजमाव होता है जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ा रहे हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 650 (150 गाय, 293 भैंस, 207 बकरी) है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 6 टन प्रति दिन है³⁶। इसे कमरौली में खाद, वर्मिकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

34 अनुमानित पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

35 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट किया गया है

36 अनुमान के लिए माना गया है कि गायें प्रति दिन 10 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं, भैंसें प्रति दिन 15 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं और बकरियां प्रति दिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत -स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और 1 कर्मचारी की नियुक्ति: <ul style="list-style-type: none"> » घरों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा » ग्राम पंचायत से ब्लॉक-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर की सुविधा मुख्य स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदान रखना। पंचायत, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप दुकानदारों, स्थानीय व्यवसायों और एम्एसएमई के बीच साझेदारी बनाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर छंटनी और भंडारण सुविधा का रखरखाव लगाए गए वर्तमान कूड़ादानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए मुख्य स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान रखना। ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर रख-रखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा रखे हुए वर्तमान कूड़ादानों का रख-रखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक सहयोग बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 670 घरों (100%) को शामिल करना मुख्य स्थानों पर 20 कूड़ेदान रखना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 25 कूड़ेदान रखना वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव 	वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 670 घरों (100%) को शामिल करना मुख्य स्थानों पर 20 कूड़ेदान रखना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 25 कूड़ेदान रखना वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव 	वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव
--	---	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000 20 कूड़ेदान डिब्बे/कंटेनर: ₹3,00,000 <p>कुल लागत अनुमान: ₹4,05,000</p>	<p>25 कूड़ेदान डिब्बे/कंटेनर: ₹1,50,000</p>	आवश्यकता के अनुसार
--	---	--------------------



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> बुनियादी अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना और प्रणाली का नियमित रखरखाव आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बुनियादी अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना और प्रणाली का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 65 कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण - 45 वर्मी-कम्पोस्ट एवं 20 नाडेप कम्पोस्ट³⁷ पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> » खाद का उत्पादन और बिक्री » कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण ग्राम पंचायत में खाद बिक्री व्यवसाय लगाना एवं सक्रिय करना साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	65 गड्ढों के निर्माण की कुल लागत- ₹9,75,000	आवश्यकता के अनुसार लागत	आवश्यकता के अनुसार लागत

37 अधिक जानकारी के लिए एचआरवीसीए देखें



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान साझेदारी मॉडल³⁸: "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है। 	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना पिछले चरणों की सफलता को निकटवर्ती ग्राम पंचायत तक पहल का विस्तार करने के लिए मॉडल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (SUPs) पर पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100 महिलाओं को जोड़ना (अनुभाग में विस्तृत विवरण) 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (SUPs) पर प्रतिबंध लगाना ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से सहभागिता बढ़ाना : <ul style="list-style-type: none"> क- अतिरिक्त 200 महिलाएं ब- अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदध्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (SUPs) पर प्रतिबंध जारी रखना विकल्प आसानी से उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग और कम करना

38 प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण के लिए पंचायत की महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल



औद्योगिक जल प्रदूषण

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> यदि कोई औद्योगिक अपशिष्ट जल ग्राम पंचायत के जल स्रोतों/टैंकों में डाला जा रहा है तो नियमित जांच करना और किसी भी उल्लंघन पर अधिकारियों को सूचित करना। निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित समूह केंद्रित चर्चाओं का आयोजन और संवाद 	चरण I के समान	चरण I और II के समान

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम


- सामुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है; पृथक्करण और भंडारण शेड
- बुनियादी ढांचे के विकास एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत पहल द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- साथ ही, सीएसआर समर्थन जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने और प्लास्टिक के अलावा दूसरी सामग्रियों से चीजों का उत्पादन करने में जुटे हितधारकों, कम्पोस्टिंग प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार का प्रचार करने में सहायक सिद्ध होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का उत्पादन, खाद बनाने की प्रक्रियाओं से जुड़े सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर स्थायी उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाईड और अनटाईड फंड सहित ग्राम पंचायत के स्वयं की आय जैसे संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

विभाग

- पंचायती राज विभाग
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- SIDCO
- जिला उद्योग केंद्र



5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

संदर्भ एवं मुद्दे

- कमरौली ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022-23 में लगभग 15,37,126 यूनिट (kWh) बिजली की खपत की। पंचायत में 97% घरों में बिजली के कनेक्शन है। बिजली की आपूर्ति, जैसा कि समुदाय के सदस्यों से पता चला है, 24*7 नहीं है। जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा बताया गया है, औसतन पंचायत में हर दिन 2 घंटे बिजली की कटौती होती है³⁹।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए पंचायत में 12 डीजल जनरेटर हैं और वे प्रतिवर्ष लगभग ~6.4 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 17 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है⁴⁰ जो सालाना ~6.6 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइटें और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत फिक्स्चर और उपकरण किसी भी घर और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (100 स्ट्रीट लाइट)⁴¹ की आवश्यकता व्यक्त की है।
- गाय के गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग ~60 घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है⁴²। स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में लॉन्च किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य बातों के अलावा, उक्त समाधान कमरौली में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

39 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

40 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

41 ग्राम प्रधान से इनपुट के आधार पर

42 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है



सोलर रूफटॉप लगाना (कुल क्षमता: 2,238 किलोवाट घंटा)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई वल्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों-पंचायत भवन और स्कूल पर सोलर रूफटॉप लगाना	<ol style="list-style-type: none"> 67 घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप (40% पक्के घर जिन्हें सोलर रूफटॉप के लिए उपयुक्त माना गया) सभी नए निर्माणों में सोलर फोटोवोल्टिक लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> अन्य 100 घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप (633 पक्के घरों में से 25 से 30% घर, जिन्हें सोलर रूफटॉप के लिए उपयुक्त माना गया) सभी नए निर्माणों में सोलर फोटोवोल्टिक लगाना
लक्ष्य	<p>स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता:</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक विद्यालय भवन (~1890 वर्ग फुट रूफटॉप क्षेत्र): 3 किलोवाट पीक पंचायत भवन: 1.1 किलोवाट पीक इस चरण में स्थापित सोलर रूफटॉप की कुल क्षमता: 4.1 किलोवाट पीक <p>उत्पन्न विद्युत: लगभग. ~ 5,490 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (~15 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 4.5 tCO₂e प्रतिवर्ष</p> <p>हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर योजना के बेहद जरूरी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के आलोक में, घर छतों पर सोलर पीवी स्थापना के लिए भी इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।</p>	<p>प्रत्येक घर पर स्थापित सोलर रूफटॉप की क्षमता (~ 90⁴³ वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र उपलब्ध): 2-4 किलोवाट पीक</p> <p>इस चरण में स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 201 किलोवाट</p> <p>उत्पन्न विद्युत: लगभग. 2,69,179 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (738 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 220 tCO₂e प्रतिवर्ष</p>	<p>अतिरिक्त स्थापित सौर क्षमता (~90 2 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र): 2-4 किलोवाट प्रति घर अतिरिक्त घरेलू रूफटॉप क्षमता: 300 किलोवाट पीक</p> <p>इस चरण में उत्पन्न विद्युत: 4,01,832 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (1101 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 329 tCO₂e⁴⁴ प्रतिवर्ष [चरण-III के अंत तक स्थापित कुल रूफटॉप क्षमता: 505.1 किलोवाट (घर + स्कूल + पंचायत भवन + घर) सभी छतों से उत्पन्न कुल विद्युत: 6,76,430 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (~1853 यूनिट विद्युत प्रतिदिन) कुल GHG उत्सर्जन से बचाव: लगभग 555 tCO₂e प्रतिवर्ष (घर + स्कूल + पंचायत भवन + वर्तमान घर)]</p>
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹2,10,000	कुल लागत: ₹1,00,50,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁴⁵ : ~40% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹60,30,000	कुल लागत: ₹1,50,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹90,00,000

43 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 किलोवाट रूफटॉप स्थापना का अनुमान

44 उत्सर्जन से बचने से पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

45 सब्सिडी/अनुदान राशी परिवर्तनशील होते हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए अनुमानित सब्सिडी/अनुदान राशि पिछले पूर्व के स्वरूप और औसतों पर आधारित है और संभव है की यह राशी वर्तमान समय में सटीक न हो।



कृषि-फोटोवोल्टिक (कुल क्षमता: 1 मेगावाट-घंटा)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक लगाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक लगाना
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 लगाए गए एग्रो-फोटोवोल्टिक प्रति हेक्टेयर स्थापित क्षमता: 500 किलोवाट पीक उत्पन्न विद्युत: 6,69,600 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रतिदिन) GHG उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रतिवर्ष	2 लगाए गए एग्रो-फोटोवोल्टिक प्रति हेक्टेयर स्थापित क्षमता: 500 किलोवाट पीक उत्पन्न विद्युत: 6,69,600 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रतिदिन) GHG उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रतिवर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकता के अनुसार	कुल लागत ⁴⁶ : ₹5,00,00,000	कुल लागत: ₹5,00,00,000

46 जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी/तकनीक आगे बढ़ रही है, कृषि पीवी की लागत कम होती जा रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र अपनाते हैं।



सौर पंप (कुल क्षमता = 990 किलोवाट-घंटा)

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान डीजल पंप सेटों के स्थान पर सौर पंप यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो वर्तमान विद्युत पंपों को आवश्यकता और पंप कितने पुराने हैं, के आधार पर ऊर्जा दक्ष पंपों (EESL द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) में बदला जा सकता है। 	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान डीजल पंप सेटों के स्थान पर सौर पंप लगाना सभी नए पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो वर्तमान विद्युत पंपों को आवश्यकता और पंप कितने पुराने हैं, के आधार पर ऊर्जा दक्ष पंपों (EESL द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) में बदला जा सकता है। 	<ol style="list-style-type: none"> शेष डीजल पंप को बदलना (100% कवरेज) लगाए गए सभी नए पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो वर्तमान विद्युत पंपों को आवश्यकता और पंप कितने पुराने हैं, के आधार पर ऊर्जा दक्ष पंपों (EESL द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) में बदला जा सकता है।
लक्ष्य	स्थापित सौर क्षमता: 55 किलोवाट <ul style="list-style-type: none"> सौर आधारित उत्पन्न विद्युत: 73,656 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष डीजल की खपत से बचाव: 2,925 लीटर प्रतिवर्ष उत्सर्जन से बचाव: 10.5 tCO₂e प्रतिवर्ष 	स्थापित सौर क्षमता: 38.5 किलोवाट <ul style="list-style-type: none"> सौर ऊर्जा आधारित उत्पन्न विद्युत: 51,560 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष डीजल की खपत से बचाव: 2,048 लीटर प्रतिवर्ष उत्सर्जन से बचाव: 7.35 tCO₂e प्रतिवर्ष 	स्थापित क्षमता: आवश्यकता के अनुसार
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹30,00,000 से ₹50,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹12,00,000 से ₹20,00,000	कुल लागत: ₹21,00,000 से ₹35,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹8,40,000 से ₹14,00,000	आवश्यकता के अनुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग / क्लीन कुकिंग

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + एलपीजी परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी 	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + एलपीजी परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + LPG परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + LPG <p>सभी नए घरों के निर्माण में बेहतर चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र लगाना</p>	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + LPG परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + LPG परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + LPG <p>सभी नए घर के निर्माण में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र लगाना</p>
	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: 44 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 626 परिवारों द्वारा LPG का उपयोग परिदृश्य 2: 10 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का (उच्च आय वर्ग के घर) + 660 परिवारों द्वारा LPG का उपयोग परिदृश्य 3: 10 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव का उपयोग + 30 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 630 LPG का उपयोग <p>यहाँ ग्राम पंचायत में LPG का निरंतर उपयोग भी होता है।</p>	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 44 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% घर) अतिरिक्त 20 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग अतिरिक्त 20 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग + अतिरिक्त 30 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (सभी बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घर को जोड़ते हुए) <p>यहाँ ग्राम पंचायत के शेष परिवारों में LPG का निरंतर उपयोग भी होता है।</p>	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: अतिरिक्त 88 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% घर जिनके पास मवेशी हैं) परिदृश्य 2: अतिरिक्त 30 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (उच्च आय वर्ग के घर) परिदृश्य 3: अतिरिक्त 30 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे और उन्नत चूल्हों का उपयोग, घरों की अभी भी बायोमास पर निर्भरता है। <p>यहाँ ग्राम पंचायत के शेष परिवारों में LPG का निरंतर उपयोग भी होता है।</p>
लक्ष्य			

अनुमानित लागत

<p>1. परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹22,00,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>2. परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹4,50,000 (बिना बैटरी के डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)</p> <p>3. परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹9,00,000 (@₹3,000) और सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹4,50,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹13,50,000</p>	<p>1. परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹22,00,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>2. परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹9,00,000 (बिना बैटरी के डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)</p> <p>परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹9,00,000 (@₹3,000) और सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹9,00,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹16,50,000</p>	<p>1. परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹44,00,000)</p> <p>2. परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹13,50,000 (बिना बैटरी के डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)</p> <p>3. परिदृश्य 3: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹13,50,000</p> <p>सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹24,00,000</p>
--	---	---



ऊर्जा दक्षता

चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<p>सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ</p> <p>1. सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (स्कूल, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष फिक्स्चर लगाना</p> <p>2. सभी घरों में कम से कम 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाना या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट लगाना</p> <p>3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किय जाना</p>	<p>1. घरों में सभी तापदीप्त बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट</p> <p>2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे</p> <p>3. निवासियों को अन्य घरों के उपकरणों को ऊर्जा दक्ष उपकरण से अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहन (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग प्राप्त उपकरण)</p>	<p>सभी घरों में सभी पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना</p>	

लक्ष्य

1. सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखे (लगभग 25 एलईडी ट्यूब लाइट और 2 ट्यूब लाइट बदलना)
2. 670 एलईडी बल्ब और 670 एलईडी ट्यूब लाइट लगाना (प्रति घर 1 ऊर्जा दक्ष बल्ब और ट्यूब लाइट लगाना⁴⁷)

1. 2010 सभी घरों में एलईडी बल्ब और 1340 ट्यूबलाइटें लगाना (प्रत्येक घर में 3 बल्ब और 2 ट्यूब लाइटें लगाना)
2. प्रत्येक घर में 670 ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना (प्रति घर 1 पंखा बदला जाएगा)

सभी घरों में 1340 ऊर्जा दक्ष पंखे (प्रति घर 2 पंखे बदले गए)

अनुमानित लागत

सरकारी भवनों की लागत: ₹22,500
घरेलू लागत: ₹1,95,000
कुल लागत: ₹2,17,500

बल्ब की लागत: ₹1,41,000
ट्यूबलाइट की लागत: ₹2,95,000
पंखों की लागत: ₹7,45,000
कुल लागत: ₹11,81,000

पंखों की लागत: ₹14,88,000



सौर स्ट्रीट लाइट्स

चरण

2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना⁴⁸

1. वर्तमान एलईडी स्ट्रीटलाइट के स्थान पर सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट
2. पंचायत भवन, स्कूलों और खेल के मैदानों, तालाबों और जल स्रोतों जैसे प्रमुख स्थानों पर हाईमास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना

1. अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थान पर सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट
2. नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीटलाइट्स लगाना
3. आवश्यकतानुसार 5-10 अतिरिक्त हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट्स लगाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

100 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना

1. 60 वर्तमान एलईडी स्ट्रीटलाइट्स के स्थान पर सोलर स्ट्रीटलाइट्स
2. 5 हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट्स लगाना

अन्य 60 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सौर स्ट्रीटलाइट्स में बदला जाना और इसके साथ अतिरिक्त सौर स्ट्रीटलाइट्स लगाना

लक्ष्य

47 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

48 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जीपी से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर।

<p>एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत: ₹10,00,000</p>	<p>एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत: ₹6,00,000 हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट की लागत: ₹2,50,000 कुल लागत: ₹8,50,000</p>	<p>एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत: ₹6,00,000 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत: आवश्यकता के अनुसार (लगभग ₹10,000 /सोलर लैंप) हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट्स की लागत: ₹2,50,00 से ₹5,00,000 (आवश्यकता के अनुसार) कुल लागत: ₹11,00,000</p>
--	---	--

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार:⁴⁹
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर इंस्टालेशन पर सब्सिडी: MNRE द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता की सीमा तक
 - » संस्थानों में RESCO मोड में स्वयं या UPNEDA के परामर्श से संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ सोलर इंस्टालेशन का प्रावधान करना⁵⁰
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से MNRE द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के RTS सिस्टम के लिए 40% तक CFA दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले RTS सिस्टम के लिए, 40% का CFA केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए CFA 20% तक सीमित होगा।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (GHS/RWA) के लिए सामान्य सुविधाओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए RTS संयंत्र लगाने के लिए CFA 20% तक सीमित होगा। GHS / RWA के लिए CFA के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सौर छत की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से की जा सकती है। इस योजना में 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% अनुदान और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के प्रणाली हेतु 40% का अनुदान प्रदान करती है। अनुदान को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क मूल्यों पर, यह योजना 1 किलोवाट प्रणाली के लिए रुपये 30,000 अनुदान, 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए रुपये 60,000 और 3 किलोवाट प्रणालियों या उच्चतर के लिए रुपये 78,000 का अनुदान होगा ⁵¹।
- पीएम-कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम-कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम-कुसुम योजना के घटक B और C के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- पीएम-कुसुम योजना में उ.प्र.सरकार का योगदान:
 - » घटक C-1 के अंतर्गत: किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ लगाए गए ऑन-ग्रिड पंपों का सोलरइजेशन; यह नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की पीएम-कुसुम योजना

49 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

50 तृतीय पक्ष (रेसको मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

51 पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: <https://pmsuryaghar.gov.in/>

के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।

- » घटक C-2 के अंतर्गत: नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की पी एम् कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलरइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (VGF) प्रदान किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीटलाइटिंग परियोजनाएँ⁵²:
 - » EESL अपने खर्च पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स के स्थान पर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाता है जिसमें 7 वर्ष तक एलईडी बल्बों को मुफ्त बदलना और रखरखाव भी शामिल है।
 - » अटल ज्योति योजना और नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय का सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना⁵³:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को चालू तापदीप्त बल्बों के बदले में 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन वर्ष की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है:
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC और FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की लागू "शर्तों" के अनुसार
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक लागू योजना के अनुसार।
 - » प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और कुक्कुट के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ बुनियादी अवसंरचना सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।⁵⁴ यह परियोजना लचीलापन प्रदान करती है और कृषि स्तर पर कोल्ड अवसंरचना के सृजन पर विशेष जोर देती है।
- EESL ने कार्बन वित्तपोषण से सौर ऊर्जा इंडक्शन कुकिंग के लिए बाजार-आधारित समाधान लाने की योजना बनाई है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » स्वच्छ भारत मिशन ग्रा0 के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁵⁵
- उ.प्र.जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵⁶ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अलावा CBG संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत की:
 - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र लगाने पर ₹75 लाख प्रति टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » 100% स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क से छूट
- नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया:

52 ईईएसएल (EESL) द्वारा राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम

53 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी (LED) बल्बों का वितरण किया गया (फरवरी, 2023), पीआईबी (PIB)। लिंक

54 अर्थात् कृषि स्तर पर प्री-कूलिंग, वज़न, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए (CA) भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ (IQF), वितरण केंद्र और रीफर वेन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

55 <https://pib.gov.in/PressReleaseSelfframePage.aspx?PRID=1883926>

56 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

- » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों के निर्माण में सहायता करता है।
- » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³ प्रतिदिन है।⁵⁷

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ टाईअप की जानकारी लें।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ सहयोग की जानकारी लें।
- सीएसआर फंड का उपयोग निम्न मदों में किया जा सकता है:
 - » माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अलावा सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंप लगाने के लिए पूंजीगत लागत को वसूल करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ तकनीकियों के लिए ग्राम जनसमुदाय सदस्यों/ स्वयं सहायता समूह सदस्यों को "संचालन और रखरखाव" प्रशिक्षण प्रदान करें।
 - » रूफटॉप सोलर (उ.प्र. सोलर पॉलिसी, 2022) और सोलर सिंचाई को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों (पी एम् कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

57 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=188392>



6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता

संदर्भ और मुद्दे

- कमरौली में कुल 190 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 120 दोपहिया वाहन, 20 कारें, 10 जीप, 15 ट्रैक्टर, 5 ट्रक और 20 ऑटो-रिक्शा⁵⁸। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 5 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~74 किलो लीटर डीजल और ~37 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण कुल ~2,172 tCO₂e का उत्सर्जन हुआ है⁵⁹
- क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला कि ग्राम पंचायत के भीतर कई सड़कों जल जमाव से प्रभावित हैं और उन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की दिशा में बदलाव आरंभ करने की महत्वपूर्ण संभावना है।



मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बेहतर बनाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों पर जल जमाव होने की समस्या के समाधान के लिए सड़कों की मरम्मत करना⁶⁰ यातायात के सुचारू रूप से आने-जाने के लिए ग्राम पंचायत में आंतरिक सड़कों की मरम्मत करना 	<p>सड़कों की बुनियादी अवसंरचना का नियमित रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत करना</p>	<p>सड़कों की बुनियादी अवसंरचना का नियमित रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत करना</p>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 3.5 किमी कुल लम्बी सड़क की ऊंचाई 2 फीट करना आंतरिक सड़कों के 1.53 किमी हिस्से की मरम्मत 	<p>सड़कों का नियमित एवं समय पर रखरखाव/मरम्मत</p>	<p>सड़कों का नियमित एवं समय पर रखरखाव/मरम्मत</p>

58 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त इनपुट के अनुसार

59 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त इनपुट

60 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट और सामाजिक मानचित्र देखें

अनुमानित लागत

<p>सड़क उंचाई की लागत: ₹2,60,00,000</p> <p>सड़क मरम्मत : ₹1,07,10,000</p> <p>कुल लागत: ₹3,67,10,000</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
---	--------------------	--------------------



इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना</p> <p>2. ICE वाहनों (ईंधन से चलने वाले वाहन) की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/ व्यवसायियों) को संवेदनशील बनाना</p> <p>3. माल/कृषि उपज के परिवहन के लिए ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा देना।</p>	<p>1. ग्राम पंचायत के साथ-साथ आसपास की ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार किराए पर लेने योग्य वाहनों को बेड़े में जोड़ना।</p> <p>2. ICE वाहनों (#ईंधन से चलने वाले वाहन) की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को नियमित रूप से जागरूक करना।</p>	<p>ICE वाहनों (ईंधन से चलने वाले वाहन) की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को नियमित रूप से जागरूक करना।</p>	

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

कुल 10 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदना	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/ या चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/ या चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार
--	---	---

अनुमानित लागत

<p>10 ई-ट्रैक्टरों की कुल लागत ~ ₹60,00,000</p> <p>10 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹50,00,00-₹ 1,00,00,000</p> <p>कुल अनुमानित लागत: ₹1,60,00,000</p>	-	-
--	---	---



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में मौजूदा ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जनसमुदाय को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान ई-ऑटोरिक्शा के लिए मरम्मत और बैटरी स्वैपिंग/डिस्पोजल आउटलेट लगाने को बढ़ावा देना उद्योगों को औद्योगिक इकाइयों में दिहाड़ी मजदूरों की आवाजाही की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक ई-बसों/मिनी ई-बसों का एक बेड़ा बनाना। 	समुदाय की आवश्यकताओं और उद्योगों की श्रम आवश्यकताओं के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा और अधिक ई-बसों की खरीद।
लक्ष्य	10 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	10 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	चिन्हित आवश्यकताओं के आधार पर

1. एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: लगभग ₹3,00,000
» उपलब्ध सब्सिडी: ₹12,000 प्रति वाहन तक
2. 10 ई-ऑटोरिक्शा की कुल लागत⁶¹ (सब्सिडी के साथ): ₹28,80,000
3. ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी (10 डीजल ऑटो को बदलने के लिए): 17.3 tCO₂e⁶²

कुल लागत (अनुदान सहित) = ₹28,80,000

आवश्यकता के अनुसार

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS के सहयोग से सड़क के बुनियादी अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
 - » उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और संचलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
 - » खरीददारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि में)
- 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: पूर्व-फैक्टरी लागत का @10%, ₹1,00,000 तक प्रति वाहन; 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल: पूर्व-फैक्टरी लागत का @15%, ₹5000 तक प्रति वाहन; 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल: पूर्व-फैक्टरी लागत का @15%, ₹12000 प्रति वाहन तक⁶³
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-ऑटोरिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं के आय के स्रोत (ओएसआर)
- सीएसआर सहयोग से बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग

61 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत रुपये के बैंड से लेकर है। ₹1,50,000 - ₹4,00,000 और अधिक, कॉन्फिगरेशन, बैटरी प्रकार और अन्य पर निर्भर करता है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

62 समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो GHG उत्सर्जन ~1.73 tCO₂e अनुमानित है। डीजल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा के उपयोग से यह उत्सर्जन कम हो जाएगा और पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन सकारात्मक बनने में योगदान मिलेगा।

63 सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है और यह बदलाव सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों पर प्रेक्ष्य में होता है। इस कारण योजना के किसी भी अनुभाग में उल्लेखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है और सामान की खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

पशुपालन और मजदूरी ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं और 50% से अधिक परिवार इन गतिविधियों में संलग्न हैं। दोनों क्षेत्रों में बदलती जलवायु व अस्थिर उत्पादन पद्धतियों के कारण आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में 33 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत में नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।



सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का प्रचार/बिक्री

प्रारंभिक संलग्नता:

- » 100 महिलाएँ
- » 7 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में ज्यादातर पशुपालन और कृषि में संलग्न)
- » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल जैसे बेकार कपड़ा, पुनर्चक्रण योग्य कचरा, बेंत, बांस आदि का उपयोग करें।

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों और व्यक्तिगत व्यवसायियों को जोड़ना

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, जनसमुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. जनसमुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
 - » खाद बनाने की तकनीक
 - » ग्राम पंचायत में और बाहर खाद का प्रचार और बिक्री

लक्ष्य

1. तात्कालिक लक्ष्य:
 - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: 335 किलोग्राम प्रतिदिन; 10,500 किलोग्राम प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)
2. दीर्घकालिक लक्ष्य:
 - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक भर्ती (किराये के आधार पर) उ.प्र. इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित व्यवसाय के अवसर प्रदान करती है।
2. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

1. 4-5 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
2. 3-4 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

ई-ट्रैक्टर, 5 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना जाता है कि कमरौली में आमतौर पर 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख है)



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज की जगह किराए पर देकर व्यवसाय के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिज़नेस मॉडल

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (सब्जी की खेती और 400 से अधिक मवेशियों की डेयरी के अंतर्गत ~ 5 हेक्टेयर कुल फसल क्षेत्र)



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन बनाने और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाएगा



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रख-रखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए जनसमुदाय के सदस्यों विशेषकर स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. सीएसआर के सहयोग से ग्राम पंचायत में सौर और बायो-गैस लगाना और संचालन एवं रखरखाव व्यवसाय लगाने में केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाएँ

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

1. हरित व्यवसायों और आजीविका में सहयोग करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/आय मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएँ जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला व्यवसायियों का सहयोग कर सकती हैं।
4. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और तकनीकी विभाग (DST) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाये "आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 64,65,66:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकास और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

64 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

65 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

66 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁶⁷ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं ।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं ।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारों हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है ।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁶⁸:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है ।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं ।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई ।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर) ।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास) ।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁶⁹:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया ।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया ।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

67 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

68 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

69 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग को भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{70,71}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷²

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷³" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁷⁴

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।

70 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

71 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

72 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

73 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspcc>

74 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 12-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन सम्पूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁷⁵।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁷⁶

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना ।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुद्रिड बनाएगी।

75 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

76 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁷⁷

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁷⁸

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

⁷⁷ <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

⁷⁸ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁷⁹

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁰

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

79 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

80 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>



अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ाव









हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸¹
<p>क. हरित क्षेत्रों में वृद्धि</p>	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफर सूक्ष्म जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	<p>एसडीजी 11: स्थयी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)। पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9



81 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸²
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ा। कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 <p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
ख. जल निकायों का रखरखाव 		    
ग. जल निकासी बुनियादी ढांचे में सुधार 		

सतत कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸³
क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> सूखे, गर्मी के प्रभाव, कीटों आदि से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता⁸⁴ बढ़ाने के लिए इको-डीआरआर दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
ख. प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना 		  
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 		
घ. ओलावृष्टि की चेतावनी के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लगाना		

82 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

83 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

84 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम हुआ जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>घ. औद्योगिक जल प्रदूषण</p> 		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1




85 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप लगाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग</p> 		
<p>ड. ऊर्जा दक्षता</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		



सतत एवं उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁶
<p>क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और कमजोर लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 		
<p>ग. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		



86 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁷
<p>क. प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का निर्माण और बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	   
<p>छ. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रख-रखाव</p> 		

87 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

कार्यान्वयन पर प्रस्तावित गतिविधियां न केवल ग्राम पंचायत कमरौली के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा भी हासिल करने में भी मदद करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत की क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली (रेजिलेंट) और टिकाऊ बनाएगी। यह अपने निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, ये सुझाव प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। कमरौली के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि लागत, पानी आदि पर खर्च में कमी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसे 'आत्मनिर्भर' बनाएगी और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ कमरौली जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगी, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को समाधान करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के प्रयासों में योगदान होगा। जो बदले में जलवायु को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों में योगदान देगा जैसे एनडीसी 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, वर्ष 2022 में सूचीबद्ध योगदानों को बदलना और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना।

जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर अनुरूप समाधान की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त की उपलब्धता से ही सफल हो सकता है। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत समर्थित चल रही गतिविधियों को एकीकृत करके और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हासिल किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नए बुनियादी ढांचे/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही कमरौली को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान योजना की सफलता संभवतः अन्य ग्राम पंचायतों को खुद को स्मार्ट, लचीला और टिकाऊ बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रभावित करेगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ (LiFE) मिशन की तर्ज पर, एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और व्यवहार परिवर्तन की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) राज्य जलवायु कार्ययोजना की दिशा के प्रति तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व के अंतर्गत, राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु कार्ययोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है। ऐसी ही एक पहल 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के लिए कार्ययोजना को विकसित करना है।⁸⁸ इस अवधारणा की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून, 2022 में की थी। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के 39 संवेदनशील जिलों⁸⁹ में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड आकलन किया गया था। चयनित ग्राम पंचायतों की घोषणा की गई और इनमें से कई का 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायतों के सम्मेलन' (सीओपी (COP)) के दौरान अभिनंदन किया गया था।

कमरौली के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁸⁹ वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु कार्ययोजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की गई है। कार्ययोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु कार्ययोजना को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अनुकूलित खाका प्रदान करना है। यह बदले में न केवल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए स्थानीय जलवायु पहलों को मजबूत करेगा, बल्कि 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ बनने के उद्देश्य के साथ उत्सर्जन को भी कम करेगा।

इस कार्ययोजना को विकसित करने में अपनाया गया सहभागी दृष्टिकोण बॉटम-अप प्लानिंग की अवधारणा का समर्थन करता है। इस कार्ययोजना में दी गई प्रमुख सुझावों को व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें सीएसआर (CSR) निधि, वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यक्रमों, नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी, कार्बन वित्त और निजी निवेश जैसे वित्तपोषण विकल्पों की एक श्रृंखला के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए, कार्ययोजना में पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी (PPP)) विकसित करने के लिए एक रूपरेखा भी है और इस कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अभिनेताओं और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहकार्यता और सहयोग बढ़ाया गया है।

88 उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी जीओयुपी द्वारा उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आयोजना कार्यक्षेत्र मूल्यांकन से उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक अतिसंवेदनशील जिलों को चिह्नित किया गया था।

89 इस दस्तावेज़ में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना संलग्न है और साथ ही इसमें अनुलग्नक के रूप में निम्न संलग्न हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; भरी हुई प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

कार्यप्रणाली

प्रस्तुत रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के साथ-साथ समुदाय के सहयोग से भरी गयी प्रश्नावली, एचआरवीसीए रिपोर्ट, अनुलग्नक के रूप में संलग्न ग्राम पंचायत का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र से प्राप्त जानकारी सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को तैयार करने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया :

- सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार करना: जमीनी स्तर पर स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य विकसित करने के लिए प्रमुख हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के इनपुट के साथ एक प्रश्नावली तैयार की गई। इस प्रश्नावली में जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु संबंधी धारणा (पिछले 5 वर्ष), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के साथ परामर्श और क्षमता निर्माण: स्थानीय सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्य और इनके घटकों, इन कार्ययोजनाओं के विकास की प्रक्रिया और इसमें उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई।
- इसके अतिरिक्त, सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रमुख जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण तकनीकों और फोकस समूह चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली पर प्रशिक्षण भी दिया गया।
- क्षेत्र का सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, प्राथमिक डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चाओं का आयोजन किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत का भ्रमण भी किया गया।
 - » ग्राम पंचायत के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए एक खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) भी किया गया था।
 - » कमरौली ग्राम पंचायत द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को चिह्नित करने के साथ-साथ पंचायत की विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाएं की गईं।
- प्राप्त इनपुट के आधार पर, योजना विकसित की गई और ग्राम पंचायत के लिए आधारभूत मूल्यांकन किया गया। इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान शामिल है जो न केवल पहचाने गए पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं अपितु पंचायत की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हैं। ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ व्यक्तिगत रूप में चर्चा के कई दौरों के माध्यम से जानकारी संबंधी कमियों की पहचान की गई और उन्हें दूर किया गया।
- योजना की रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया था।
- ग्राम पंचायत से मिले सुझाव के आधार पर आवश्यक अपडेट को समायोजित करने के बाद, कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



ग्राम पंचायत : कमरौली

विकासखण्ड : जगदीशपुर

जनपद : अमेठी

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	01
2	टोलों की संख्या	05
3	a कुल जनसंख्या	4515
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	2506
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2009
	d विकलांगजन की जनसंख्या	22
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	780
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	64
4	कुल परिवार की संख्या	670
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	195
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	380.86 हेक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	78.34%
7 a	पक्का घरों की संख्या	633
b	कच्चे घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	37 (छप्पर, टिनशेड, पालिथीन)

II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	232
	किराए की भूमि (हुण्डा)	-
	अनुबंध खेती	-
	दिहाड़ी मजदूर	238
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	-
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	15



9		ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
		सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	24	
		कुटीर उद्योग	09	
		कृषि	134	
		कला / हस्तकला	10	
		पशुपालन	175	
		व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	65	
		व्यवसाय / उद्यम	61 दुकान	
		दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	53	
		अन्य	10 (साइकिल से फेरी करने वाले)	
10		पलायन	हां	नहीं
a		क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b		पलायन करने वाले स्थान		पलायन के मुख्य कारण
		अन्य गांव	-	
		निकट के शहर	-	
		राज्य के प्रमुख शहर	23	दिल्ली, मुम्बई, गुजरात, लखनऊ रोजगार के कारण
		देश के प्रमुख महानगर	10	दिल्ली, मुम्बई, कानपुर, कलकत्ता, गुजरात
c		क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार / व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d		पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	7 लोग प्रवास किये औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं	



11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	48 (जिसमें 22 बिधवा महिला है)
b	खेती में कार्यरत महिला	48 कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	16
	किराएकी भूमि/हुण्डा	-
	अनुबंध खेती	-
	दिहाड़ी मजदूर	20
	अन्य व्यवस्था	11 (पेटी शाप दुकान /सिलाई ,कढ़ाई)
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	31
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	14
	कुटीर उद्योग	10
	कृषि	16
	कला/हस्तकला	03
	पशुपालन	46
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	-
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	11
	अन्य	

12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	जय माँदुर्गा	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA
2	खवाजा गरीब नवाज	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA (बैंक में प्रगति)BOBIE
3	लगन शाह बाबा	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA (बैंक में प्रगति)BOBIE
4	माँ लक्ष्मी	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA (बैंक में प्रगति)BOBIE



5	नारी शक्ति	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA
6	राधा कृष्ण	10	कृषि और पशुपालन	6000	NA

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
	NA	<input type="checkbox"/>				

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन/						
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/ समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/ सेवा	विपणन/ लक्षित उपभोगकर्ता
	Center of Technology And Entrepreneurship Development (CTED)	<input type="checkbox"/>	10			कार्य की शुरुवात हुई है

15 योजनाएं							
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ/ कार्य
		मनरेगा	202	16	12.41 लाख		पौध रोपण, इंटरलॉकिंग
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/ एन.एफ.एस.ए.	104 506	610	686400 +87360 =773760/-		
		प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	58	58	सिलेन्डर, गैस चूल्हा		
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	Nil				
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	Nil				



b	अन्य योजनाएं	Nil				
	ग्राम उज्ज्वला योजना	Nil				
	ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	13	13	179400/-		लाभार्थी का आवास बना है
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	610	610			
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	Nil				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil				
	मौसम आधारित फसल बीमा	nil				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	26				रवि और खरीफ मे जिसने बीमा करवाया है लाभ देने की प्रक्रिया चल रही अभी किसी को लाभ मिला नहीं है
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil				
	किसान क्रेडिट कार्ड	NA				
	स्वच्छ भारत मिशन	328	328	3936000/-		शौचालय बने हैं।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	Nil				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil				



	गोवर्धन योजना	Nil				
	जल पुनर्भरण योजना	Nil				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	Nil				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Nil				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	Nil				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	651
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	327

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
1	जाफर गंज	<input checked="" type="checkbox"/>		धान- 2540 कु.	760 कु	3 किमी
2	जाफर गंज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	गेहू-1670 कु.	550 कु.	3 किमी
3		<input type="checkbox"/>				

19	शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)



A	कम्पोजीट विद्यालय कमरोली	1890 वर्ग फीट	416	01	कोरोना काल के दौरान
B	हाई स्कूल				ग्राम पंचायत से 100 मीटर बाहर है
C	अन्य संस्थान		NA		
D			NA		

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	NA				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1	NH-56 बाराणसी-लखनऊ मार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत के बीचो बीच से 1 किमी दूर तक	अच्छा 1

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Nil
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil



F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil
---	---	-----

23 अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	4.285 हेक्टेयर	
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	NA	
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil	
	अतिरिक्त सूचनाएं		

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	19	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?		
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?		

25 जल आपूर्ति		
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) <input checked="" type="checkbox"/> भूमिगत जल—(3)	भूमिगत जल -हैंड पम्प 3 तालाब 4



	तालाब / झील-(4) अन्य- (5)	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं / बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) ✓ हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	हैण्ड पम्प से 5
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	NA
e	क्या पानी का बहाव / प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	NA
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	NA
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ✓ नहर (1) वर्षा जल (2) ✓ भूमिगत जल - (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब / झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	छोटी नहर से (माइनर) 1 भूमिगत जल - (नलकूप (3A),



h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	नहर का मौसमी है और ट्यूबेल बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	नहर का कम पानी मिलता है और ट्यूबल का संतोषजनक है
j	<p>अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</p> <p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	<p>नहर का कम मिलता है ट्यूबल /समर सेबुल से ही पानी मिलता है</p> <p>जल स्तर घट रहा है , फैक्ट्रियो के माध्यम से पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन हो रहा है</p> <p>घर पर ब्यक्तिगत लगी पानी की टंकी का महत्व बढ़ जाता है</p>



IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया			
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	25 दिनों की बढ़ोतरी हुई है		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी बढ़ जाती है		
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया	की एक हफ्ते की अधिक ठंडी होती है		
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		20	
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	10 -15 दिन लगभग ठंडी देर से शुरू होती है		
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया			
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		7-8 दिन	
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)			
29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
B	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	10-12 दिन		



D	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	दिनों की संख्या		1 - 2 दिन	
F	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	2019 -2020 में संतोषजनक बारिश हुई लेकिन अनियमितता के कारण फसल खराब हो गई विशेषकर देर से बोवाई करने वाले किसानों का 2021 में बारिश अच्छी हुई 2022 में बहुत कम हुई		

चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून, जुलाई	अगस्त, सितम्बर			जून, जुलाई
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	<input checked="" type="checkbox"/> घरेलू स्तर पर प्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/> पड़ोस में लगे गहरे बोरिंग हैंड पम्प द्वारा पीने का पानी लिया गया था			कृषि स्तर पर प्रबन्धन फसलों की सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट का उपयोग किया गया था	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	1979 और 2010 में बारिश न के बराबर हुई थी सभी फसले सुख गई नल से पानी भी कम निकलने लगा और जानवर को पानी पीने की कमी हो गई जीवन अस्त व्यस्त हो गया				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना - नहीं है	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



b	किस माह में बाढ़ देखा गया-NA					
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि) केवल जलजमाव होता है।	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलन-NA						
a	भूस्खलन की घटना- नहीं है	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई नहीं					
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		NA
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना-	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	सितम्बर		फरवरी		
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन घरेलू स्तर से सामूहिक प्रयास के माध्यम से प्रबंधन करते हैं			✓ कृषि स्तर पर प्रबन्धन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पूर्व सूचना दी जाती है जिससे किसान फसल की	



					समय पर कटाई एवं बुवाई करते हैं	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input checked="" type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022) <input checked="" type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input checked="" type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input checked="" type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input checked="" type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	फरवरी, मार्च सितम्बर, अक्टूबर, बर,	फरवरी, मार्च सितम्बर, अक्टूबर, बर,	फरवरी, मार्च सितम्बर, अक्टूबर, बर,	फरवरी, मार्च सितम्बर, अक्टूबर, र,	फरवरी, मार्च सितम्बर, अक्टूबर, बर,
b	किस प्रकार के टिड्डी कीट/बीमारी को देखा गया?	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में तनाछेदक एवं फलछेदक एवं विषाणुजनित	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित	माहो, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अधिकारी के द्वारा रोकथाम के लिए दवाओं के बारे में बताया है				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					2019 से 2021 में कीड़े व बीमारी का प्रकोप बढ़ा और जागरूकता के कारण 2022 में कमी आयी है

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी
-----------	--



	ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?	क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?			
		हां	नहीं	हां	नहीं
आपदा तैयारी के उपाय		हां	नहीं	हां	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	नहीं है
	तेल	नहीं है
	चीनी	नहीं है
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	नहीं है
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	नहीं है

37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत		
	स्थानीय कृषि अधिकारी	हाँ
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	हाँ
	मोबाईल फोन/एप	हाँ
	मौखिक	हाँ
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	हाँ
	पशुपालन विभाग	नहीं
	उद्यान विभाग	नहीं
	अन्य	नहीं



कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम- गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ -	धान	वर्षा का न होना और जीवाणु झुलसा के कारण	लगभग 450 कुंतल	918,000/-
	द्वितीय वर्ष (2021)	नहीं				
	तृतीय वर्ष (2020)	नहीं				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	नहीं				
	पंचवां वर्ष (2018)	रबी	गेहू	ओलावृष्टि	लगभग 310 कुंतक	570400/-
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अभी अधिकतर लोगो मे जानकारी का अभाव है		
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	जब तक आस पास के क्षेत्रो मे आपदा घोषित नहीं हो जाता है तब तक बीमा का लाभ नहीं मिल पाता इसमे किसान अपने स्वैक्षा से अपनी फसल का बीमा करवाता है जिन किसानो ने बीमा करवाया है उन्हे लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है अभी मिला नहीं है अभी अधिकतर लोगो मे जानकारी का अभाव है				



39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद/अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	20 जून	देरी से बुवाई करना	जुलाई का प्रथम सप्ताह	बर्षा का देरी से होना
	गेहूँ	15 नवम्बर	देरी से बुवाई करना	दिसम्बर	धान की कटाई देरी से होना और बुवाई के समय खेत में नमी न होने के कारण
	सब्जी	20 जनवरी	देरी से बुवाई करना	15 फरवरी के बाद से	ठंडी का लेट से शुरु होना और और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पड़ने के कारण
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	गाव में 8 से 10 लोग गेहूँ की बुवाई 10 नवम्बर तक ही कर देते हैं धान की उन्नतशील और जल्दी तयार होने वाली प्रजाति लगाते और खेत जल्दी खाली हो जाता है अधिकतर किसान दलहन और तिलहन की खेती नहीं करते हैं जिसका कारण जंगली जानवर और छुट्टा जानवर है			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4),	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)



		पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)			
	धान	पारम्परिक,(5) नहर,(3)खुली नाली बिधि से सिंचाई करते हैं	2000/-	पारम्परिक, नहर, खुली नाली बिधि से सिंचाई करते हैं	1700
	गेंहू	पारम्परिक, (5) नहर,(3)खुली नाली बिधि से सिंचाई करते हैं	1400/-	पारम्परिक, नहर, खुली नाली बिधि से सिंचाई करते हैं	1100/-
B	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां
		17	02	0	खुली नाली और पाइप के माध्यम से सिंचाई होती है
C	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है				
41 पशु पालन/पशुधन					
A	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		1 2 (2 लोग मुर्गी पालन करते हैं) 6 बकरी		
B	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)



	प्रथम वर्ष (2022)	गाय 1	गाय 2	एक गैस्ट्रो के कारण और दूसरी ठण्ड के कारण	सर्दी	2
	द्वितीय वर्ष(2021)	भैंस 2	भैंस 1	अधिक आयु के कारण	गर्मी	-2
	तृतीय वर्ष (2020)	बकरी 3	बकरी 26	महमारी (पी.पी.आर)और ठण्ड के कारण	सर्दी	2
	चतुर्थ वर्ष(2019)	बकरी 3	बकरी 15	महमारी (पी.पी.आर.)के कारण	सर्दी	2
	पंचम वर्ष(2018))	बकरी 3	बकरी 34	महमारी (पी.पी.आर.)और चेचक के कारण	सर्दी	2
	अन्य जानकारी /सूचनाएं					
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	मुर्गी 1	176	CRD के कारण	फरवरी	हानि हुई है
	द्वितीय वर्ष(2021)	मुर्गी 1	215	लाक डाउन लगने के कारण मुर्गी का रेट ना मिलने से दाना पर्याप्त मात्रा में न देने के कारण	गर्मी	कमरौली ग्राम पंचायत में 3 पोल्ट्री फार्म था जिसमे एक बन्द हो गया 2
	तृतीय वर्ष (2020)	मुर्गी 1	350	लाक डाउन लगने के कारण मुर्गी का रेट ना मिलने से दाना पर्याप्त मात्रा में न देने के कारण	गर्मी	-2



	चतुर्थ वर्ष(2019)	मुर्गी 1	120	मुर्गी फार्म में नेवला घुस गया था जिसके कारण मुर्गियों में हार्ट हटैक हो गया	गर्मी	-2
	पंचम वर्ष(2018))	मुर्गी 1	78	ठण्ड के कारण रात में मुर्गी एक दुसरे के उपर इकट्ठा हो गई और दब कर मर गई	ठण्डी	-2
	अन्य जानकारी /सूचनाएं					



V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी

42	a	उर्वरक उपयोग				कीटनाशक उपयोग				खरपतवारनाशी		
		उपजा (कु0) प्र ति एकड़	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	वया विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	वया विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	वया विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	
		धान	यूरिया- डाई अमोनियम फास्फेट - म्यूरेट आफ पोटास - सल्फर- जिंक -	यूरिया-100 किग्रा डाई अमोनियम फास्फेट - 50 किग्रा पोटास -25 किग्रा जिंक -10 किग्रा	रसायनिक खाद का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है 1	मैलाथियान, क्लोरोपारीफा स, कापर आक्सीक्लोरा इड और स्ट्रेप्टोसाय क्लीन	पाउडर -5 किग्रा /एकड़ 250 एम् एल /एकड़ 500 ग्राम /एकड़	1	बिस्पायरिक बाईसोडियम	100 एम् एल /एकड़	वृद्धि हुई है पहले ये खरपतवार नाशक दवा 80 एम् एल एक एकड़ के लिए आता था जो की अब 100 एम् एल एक एकड़ के लिए आता है 1	



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु० / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
नहीं होता है	0	0	0	0

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)			
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
नहीं	-	-	-



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां

पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोवल्चर (1), मिश्रित प्रजातियां (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें
यूकेलिप्टस	1 हेक्टेयर	मो.रई श के खेत मे ,मदुपुर रोड ,कम रोली मोहम्मद के खेत मे ,पूरे गारवर			हाइब्रिड	10-06-2018	50%	जानकारी के अभाव के कारण लाभ नहीं मिल पाता	कमी (2)	अन्य (5) उचित रेट न मिलने के कारण लोगों में रुचि कम हो गई है



	मदुपुर रोड ,कम रौली शाकी ब पठान खेत मे ,राधे जयस वाल ,अक्त र के खेत	3 हेक्टेयर	अन्य (6)– व्यक्तिगत	(1)	दशहरी , चौसा	15-06-2010, 12-7-2011, 70%	जानकारी के अभाव के कारण लाभ नहीं मिल पाता	वृद्धि (1),	
आम का बगीचा	इंडोरा मा	0.5 हेटेयर	अन्य (6)– व्यक्तिगति (कम्पनी के माध्यम से)	(1)	हाइब्रिड	17-06-2009	जानकारी के अभाव के कारण लाभ नहीं मिल पाता	कमी (2),	अन्य (4)आवासीय क्षेत्र बढ़ने के कारण रकबा कम हो गया ,
कदम	कब्रि स्तान	0.5 हेटेयर	मनरेगा	(1)	हाइब्रिड	17/06/2023	जानकारी के अभाव के कारण लाभ नहीं मिल पाता	कमी (2),	अन्य (4)आवारा पशु पौधो को नुकसान कर देते है
नीबू का बगीचा सागौन									



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन	
गाय (देशी नस्ल)	56	पशुआहार	4800 प्रतिमाह	
गाय (संकर नस्ल)	94	पशुआहार	9600 प्रतिमाह	
भैंस (देशी नस्ल)	293	पशुआहार	9800 प्रतिमाह	
भैंस (संकर नस्ल)	Nil			
बकरी	207	पशुआहार और खुल्ला चराना	प्रति बकरी 1200 रुपये प्रति माह 14000 रुपये सालाना	
सुअर	Nil			
मुर्गी	10000	मुर्गी का दाना (प्री स्टाटर, स्टाटर,)	145 प्रतिमाह	
मत्स्य				
अन्य				

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	कोई नहीं है
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/ फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ फिल्टर आरो <input type="checkbox"/>

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबंधन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	व्यक्तिगति/अलग अलग उपाय प्रक्रिया धीन है (1-1.5 किलो ग्राम प्रतिदिन)	SLWM (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) में चयन हो गया है	सरकारी सहायता से बैट्री वाला रिक्सा का बजट पास हो गया है जिसके माध्यम से प्रतिदिन सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करके वेयवस्थिति किया जायेगा			
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	सफाई कर्मी के माध्यम से और व्यक्तिगति तरीके से करते है					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन ✓	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	✓ नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	अपने के घर पास और स्थानीय गड्ढो मे फेकते है		नहीं	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हाँ लेकिन सक्रियता के आभाव के कारण लोग उपयोग नहीं करते है			



f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	इधर उधर फेकते हैं है जिससे प्रदुषण फैलता है

49	खुले में शौच मुक्त स्थिति						
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				260 परिवारों के पास है
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				इंडोरामा के बगल कमरीली के मुख्य मार्ग पर सामुदायिक शौचालय बना हुआ है
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ					
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)						

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	500 लीटर प्रति परिवार				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				



d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं			
---	---	------	--	--	--

51 स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा				
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	✓ नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e	आशा	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुये हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	7	2	5	0	जगदीश पुर में इलाज चल रहा है	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाईड/हैपेटाइटिस आदि)	01	01	0	0	जगदीश पुर में इलाज चल रहा है	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	श्वसन सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	12	0	12	0	जगदीश पुर में सुबिधा है	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	02	02	-	-	-	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	653
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	241
	ए0सी0	31
	एयर कुलर	54
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	156

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	1 से 2 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	-

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/> उतार चढ़ाव नहीं है <input type="checkbox"/>

56 पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
डीजल चलित जेनरेटर	12
सौर उर्जा	Nil
इमरजेंसी लाईट	127
इन्टवर्टर्स	120
अन्य साधन (उल्लेख करें)	



57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	NA	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	नहीं है	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	नहीं है	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	नहीं है	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	नहीं है	
	सौर स्ट्रीट लाईट	नहीं है	
	बायोगैस	नहीं है	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	नहीं है	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)		

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	कमरौली ग्राम पंचायत मे 60 परिवार ऐसे है जिनके यहाँ लकड़ी पर खाना बनता है	300 kg
	बायोगैस	0	
	एलपीजी गैस	610	14 kg
	विद्युत	0	
	सौर उर्जा	0	



	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0		
--	---	---	--	--

59 वाहन की संख्या				
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप /बोलरो	15	डीजल	50 किमी प्रतिदिन
b	कार	20	डीजल /पेट्रोल	40 किमी प्रतिदिन
c	दो पहिया वाहन	120	पेट्रोल	20 किमी प्रतिदिन
d	विद्युत चालित वाहन	04	चार्जिंग बिधुत	10 किमी प्रतिदिन
e	आटो	20	डीजल /CNG	80 किमी प्रतिदिन
f	ई-रिक्शा	05	बैट्री बिधुत चार्जिंग	40 किमी प्रतिदिन
g	अन्य-डम्पर	05	डीजल	25 किमी प्रतिदिन

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	15	डीजल	4 किमी प्रतिदिन
b	कम्बाईन हारवेस्टर	01	डीजल	5 किमी प्रतिदिन (अवश्यकता अनुसार)
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)				
	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले	कितने प्रकार के वाहन	एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)



	ईंधन के प्रकार		गांव की संख्या	टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	डीजल	5500 लीटर प्रतिदिन	05	15	1	15	25	100	20	05	5
b	पेट्रोल	3000 लीटर प्रतिदिन	05					120		-	

62	औद्योगिक इकाई			
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	BHEL	01	90 प्रतिशत विद्युत से	NA
	इंडोरामा यूरिया	01	90 प्रतिशत विद्युत से	NA
	मुर्गी दाना फक्ट्री (फीड)	01	90 प्रतिशत विद्युत से	NA
	बेकरी	02	90 प्रतिशत विद्युत से	NA

अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – कमरौली

विकासखण्ड – जगदीशपुर

तहसील – मुशाफिर खाना

जनपद – अमेठी

2022–2023

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

ग्राम पंचायत कमरौली में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 43 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी-मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी पहले की अपेक्षा 1 माह देर से शुरू हो रही है अर्थात् 15 नवम्बर से सर्दी शुरू हो रही है और जनवरी के बाद समाप्त हो जाती है। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2022 में बरसात के मौसम में मई-जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई। खेती-किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पहले धान की फसल में उन लोगों को केवल एक सिंचाई करना पड़ती थी किन्तु 2022 में धान की फसल में चार बार सिंचाई करनी पड़ रही है। गांव के लोगो ने बताया कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न प्रक्रिया के तहत पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया है। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवत हैं –

1. **गांव को प्रभावित करने वाली अपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण**
समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ सफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं की **जानकारी** प्राप्त हुई। इस **जानकारी** में आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक **स्थिति** को देखते हुए उनका प्राथमिकीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य **समस्या** जलजमाव है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनका अबतक व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है और जिनकी क्षति अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। **कमरौली** में वर्ष 1979 में यहां पर सूखा की बड़ी घटना हुई। इसमें 103 हे0 की खेती प्रभावित हुई तथा 250 लोग प्रभावित हुए। उसके बाद से पिछले वर्षों 2018, 2021 में एवं 2022 में सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 04 देखें।

आपदा की पहचान_प्राथमिकीकरण_एवं के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत **कमरौली** को प्रभावित करते हैं –

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रै०	मई	जून	जुला०	अग०	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आंधी तूफान												
ओला-पत्थर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेण्डर बनाने के दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा विहीन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा चरम पर तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव के लोगो को करना पड़ रहा है

जलजमाव इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के आवागमन को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना /कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन हेतु चारे का संकट बनकर पूरे वर्ष प्रभावित करता है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव व सूखा से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी-तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बनी रहती है। शीतलहर से पशुपालन, मुख्यतः बकरीपालन प्रभावित हो रहा है, अर्थात् बकरियों को बहुत नुकसान होता है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये है।

आपदाओं का ग्राम पंचायत कमरौली के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का कमरौली ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार के जोखिम की संभावना बनती है। इससे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारी का जोखिम	-	42 घर	42 उथले निजी हैण्डपम्प का जलस्तर दूषित
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर फैल जाना	पूरा ग्राम पंचायत	670 घर	सड़क, खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जलजनित बिमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा ग्राम पंचायत	670 घर	32 लोग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिती कम होना।	पूरा ग्राम पंचायत	670 घर	सड़क, विद्यालय भवन एवं परिसर में सीपेज
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चों, विकलांगजन, महिलाओं के गिर जाना/ घायल हो जाना	पूरा ग्राम पंचायत	250 वृद्ध 780 बच्चे 48 गर्भवती महिलाएं 22 विकलांग	सड़क टूट जाना आवागमन बाधित
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप	-	50-60 किसान परिवार	20-25 एकड़
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	पेड़-पौधों एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	-	-	700 पेड़-पौधों 05-07 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप	पूरा ग्राम पंचायत	175 घर	पशुपालको को जानकारी का आभाव, कृत्रिम गर्भाधान के प्रति जागरूक न होना गाय, भैंस एवं बकरीपालन
		आजीविका	ग्राम पंचायत में ही औद्योगिक क्षेत्र है	202 जॉबकार्ड धारी	-	ग्राम पंचायत में औद्योगिक कम्पनी है इसलिए मजदूर वर्ग को आसानी

						से रोजगार मिल जाता है
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा ग्राम पंचायत	—	3 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार, खासपात की अधिकता कीट-पतंगों का प्रकोप	—	—	1.5 एकड़ खुले में खरपतवार, घासपात की अधिकता
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी /संकट	पूरा ग्राम पंचायत	670 घर	अप्रैल और मई माह में 12 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, एवं 42 सामान्य प्राइवेट नल का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा ग्राम पंचायत	650 घर	103 हे० खेती
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक			1000 पेड़-पौधें 2-3 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, उत्पादन कम होना आदि	गाय, भैंस एवं बकरी पालक	175 घर	पशुधन
3.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण में बाधा	पूरा गांव	670 घर	स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना, पेयजल संकट चारा का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित	—	780 बच्चें	शिक्षा बाधित
4.	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना।	पूरा गांव — बुजुर्गों सांस की बीमारी में वृद्धि	438 घर बुजुर्ग एवं बच्चें	शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	—	—	8 एकड़ खेत
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान	पूरा गांव	175 पशुपालक घर	प्रत्येक वर्ष 40-50 बकरियों की मृत्यु
5.	ओला-वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चें, वृद्धजन, महिलाएं के गिरने, चोट लगने का खतरा जानवरों के घायल होना	पूरा गांव	37 कच्चे घर 22 विकलांगजन	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन **औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी एवं पशुपालन** है। **कम दिनों में अत्यधिक वर्षा से हो रहे जलजमाव के कारण** आजीविका **प्रभावित होती** हैं। जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 05 देखें।

3. नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। समुदाय ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग; जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. जलजमाव

जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रभाव स्वरूप **कमरौली** ग्राम पंचायत में जल-जमाव मुख्य समस्या है। इस ग्राम पंचायत के **दो तरफ से रेलवे लाइन और एक तरफ से बनारस से लखनऊ को राष्ट्रीय राजमार्ग जाती है जिसके कारण** बरसात में अत्यधिक वर्षा व जलभराव होने एवं नाले की उपयुक्त गहराई नहीं होने से इसका अधिकांश पानी ग्राम पंचायत **कमरौली** के कृषिगत भूमि एवं **पुरे अकबर** के निचली क्षेत्र में फैल जाता है। गांव में निम्नलिखित विकास की **दशाये** जो जलजमाव में वृद्धि करते है -

- गांव की मुख्य सड़क जो लखनऊ-**वाराणसी** राष्ट्रीय **राज** मार्ग से **कमरौली** पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग अपेक्षाकृत नीचा है एवं जगह-जगह से टूटी हुई हैं।
- **कमरौली पंचायत के मजरे में** आरसीसी सड़क के **अभाव है** जलनिकासी की व्यवस्था हेतु **सड़क के दोनों तरफ नालिया बनी हुई** जिसमें कुछ जगहों पर पुनः निर्माण की आवश्यकता है जिससे जल निकासी एवं आवा गमन हेतु सुबिधा हो जायेगी
- **कमरौली पंचायत में 7 तालाब है** जिसमें जलकुम्भी, जलिये खरपतवार, एवं गाद भरी हुई है

समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव

- ग्राम पंचायत **कमरौली के मजरे पुरे अकबर मजरे में जलजमाव के कारण 10-12 परिवार पूरी तरह से प्रभावित हो रहे** हैं। घरों की दीवारों एवं फर्श में सीलन व सीपेज **बना रहता है**
- ग्राम पंचायत **कमरौली के मजरे पुरे गरवर** की आबादी का पूरा कूड़ा-कचरा निचले क्षेत्र में इकट्ठा होता है जो जलजमाव के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से समुदाय प्रभावित रहता है जैसे फोड़ा-फुंसी, सर्दी-जुकाम, बुखार आदि।
- बरसात में जलजमाव होने के कारण आवागमन बाधित होता है।

- **पुरे अकबर से मटुपुर** की ओर जाने वाली सड़क पर भी जलजमाव की स्थिति बन जाती है जिससे लोगों का **बरसात** के दिनों में आवागमन **बाधित** हो जाता है।



2. सूखा

समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गांव की दूसरी बड़ी आपदा है। आज से 20 वर्ष पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश होती थी। किन्तु अब बरसात अनियमित और असमय होती है। विगत 6-7 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। इससे सूखा जैसी स्थिति बन जा रही है। सूखे की स्थिति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित गतिविधियां भी जिम्मेदार है। **जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह से अगस्त माह तक सूखा रहा जिससे फसलो का नुकसान हुआ**

- गांव के खेतों में मेड़बंधी जैसी जलसंरक्षण की गतिविधियों की कमी है।
- गांव में कुल 26 कुएं हैं, जो भूमिगत जलस्तर का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें से केवल 3 कुएं का पानी साफ है। एक कुंआ सुरक्षित है इस पर लोहे की जाली लगी है। इसके अतिरिक्त 23 कुएं में पानी के साथ पालीथिन, गंदगी, खरपतवार, मिट्टी आदि से भरा हुआ है।
- वृक्षारोपण, पौधरोपण का अभाव है। सड़कों के किनारे, खेतों के मेड़ों पर कृषि व सामाजिक वानिकी का अभाव है।
- खेतों में **अधिकतर** रसायनिक खाद **एव दवा** का प्रयोग किया जाता है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- गर्मी के दिनों में लगभग 12 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं लगभग 43 हैंडपम्प का जलस्तर नीचे चला जाता है।
- औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कम्पनियों में पानी का दोहन अधिक मात्रा में किया जाता है जिससे सूखे की समस्या हर वर्ष गर्मी के दिनों में होती है
- औद्योगिक क्षेत्र से अमोनिया गैस निकलने के कारण वायु प्रदूषण फैलता है
- सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ गई है। वर्ष 2022 में जून-अगस्त तक सूखे से पूरे धान की फसल का 50 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। इस गांव का लगभग 103 हे0 खेती का उपज सूखे से प्रभावित हो जाता है।
 - जानवरों को चारा का संकट हो जाता है साथ तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।

3. लू

लू तीसरे नम्बर पर गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं। **औद्योगिक क्षेत्र होने कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है**

समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है।

शीतलहर

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाली चौथे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 40-50 बकरियों एवं 200 से 250 मुर्गियों तथा 2 से 3 गाय की मृत्यु हो जाती है।

गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषि कार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः आलू में अगेती एव पछेती झुलसा तथा दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप **उत्पादन कम हो जाता है। खाना पकाने के लिए** जलौनी हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं -

- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, युवा मण्डल दल, महिला मण्डल, धार्मिक मण्डल, आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।

- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग पशुपालन तो करते हैं, किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है।
- वैकल्पिक एवं सौर ऊर्जा संबंधित गतिविधियां नहीं हैं। यहां 95 प्रतिशत से अधिक घरों पर पक्की छत है। जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग की प्रबल संभावना है।
- गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इक्कटटा होकर गलियों, सड़कों एवं खड़न्जा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूप मानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं जलजमाव की समस्या को बढ़ाता है।
- मानसून के दिनों में जलजनित, मच्छर-मक्खियों जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यहां टायफाइड, मलेरिया, सांस संबंधित बीमारियां होती रहती हैं।
- गांव में अधिकांशतः मुख्य फसलें गेहूँ सरसों, एवं धान ही उगाते हैं। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि संबंधित गतिविधियां नहीं हैं। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- गांव में गाय, भैस, आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं बल्कि सड़कों के किनारे ढेर लगाकर रखा रहता है या कण्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।
- प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी भवन **अलग अलग** बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से ठीक है किन्तु पंचायत में एक ही आंगनवाड़ी केंद्र होने के कारण बच्चों के देख भाल एवं पोषाहार बितरण में समस्या होती है अतः दो आंगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकता है

4. ग्राम पंचायत में ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन होता है जिससे पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और ग्राम पंचायत कमरौली में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है

5. क्षमता विश्लेषण

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता **आंकलन** किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात् यह संसाधन मददगार होते हैं।

ग्राम पंचायत **कमरौली वाराणसी** से लखनऊ राष्ट्रीय राज मार्ग पर ही स्थित है, जिला मुख्यालय से 45 **किमी दूर है** इस गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, एक निजी विद्यालय है। ग्राम पंचायत **कमरौली** में अधिकांशतः, लगभग 95 प्रतिशत घर पक्के मकान हैं। लोगों के आवागमन हेतु गांव में खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग मुख्य सड़के हैं इन्हीं सड़कों के **दोनों**

तरफ जल निकासी हेतु नाली बनी हुई है, कई स्थानों पर सड़क भी टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में आवागमन में समस्या होती है। कुछ जगहों पर नाली टूटी होने के कारण जलनिकासी भी बाधित है

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आंकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं-

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरी
कम्पोजिट विद्यालय	01	अर्चना चौहान	1 किमी
निजी इंग्लिश मीडियम विद्यालय	01		600 मीटर
पंचायत भवन	01	यासमीन -98 39 74 76 90	1 किमी
सरकारी राशन कार्ड की दुकान	01	अन्शार अहमद	0.5 किमी
थाना SHO	01	अभिनेश कुमार -	0.4 किमी
कचहरी, मुशाफिर खाना	01		30 किमी
जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस व्यवस्था	01	102, 108	8 किमी
विकासखण्ड कार्यालय जगदीश पुर	01		8 किमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीश पुर	01		8 किमी
तहसील - मुशाफिर खाना	01		30 किमी
आपदा विभाग, मुशाफिर खाना	01		30 किमी
पोस्ट ऑफिस, कमरौली	01		800 किमी
बिजली विभाग, उतेलवा	01		1 किमी
डिग्री कालेज- जगदीशपुर	01		8 किमी
फायर स्टेशन- कमरौली	01	101 (कार्य प्रगति पर)	0.4 किमी
बस स्टेशन	01		8 किमी
रेलवे स्टेशन	01	सुनेरवा	1 किमी
खाद बीज, दवा केन्द्र - सिन्दुरवा	01		3 किमी
बजार - जाफर गंज	01		3 किमी
बैंक - BHEL	01	BOB	1 किमी



प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन/	संख्या	विवरण/नाम /संपर्क संख्या	छूरी
पर्यावरणीय संसाधन				
1.	तालाब	19	ग्राम पंचायत के खसरा खतौनी मे 19 तालाब है किन्तु धरातल पर 7 तालाब है	0.4 किमी
2.	कुंआ	26		0.2 किमी
3.	नाला	0	—	0.4 किमी
4.	बाग	03	मोहम्मद अली, राधे जयसवाल, साकिर पठान	0.2 किमी
5.	नदी	0		-
6.	कृषिगत क्षेत्र	179.2 हेक्टेयर		
7.	खुला क्षेत्र/ सामुदायिक भूमि	1.25 एकड		0.5 किमी

मानव संसाधन				
1	ग्राम प्रधान	01	ग्राम प्रधान -यासमीन -98 39 74 76 90	
2	पंचायत सहायक	01	सीमा कुमारी -95 59 43 53 30	
3	रोजगार सेवक	01	रीना कौशल -84 19 84 26 35	
4	आंगनबाडी कार्यकर्त्री	01	सिया राजी -63 92 17 80 28	
5	आंगनबाडी कार्यकर्त्री	01	मुन्नी देवी -74 08 9 76 675	
6	आंगनबाडी कार्यकर्त्री	01	मीना यादव- 95 59 600 877	
7	आंगनबाडी कार्यकर्त्री	01	ज्ञान वती	
8	आंगनबाडी कार्यकर्त्री	01	शिवललि	
9	आशा बहु	01	कंचन शुक्ला -84 18 87 35 56 ,73 79 43 32 68	
10	आशा बहु	01	कंचन सिंह -78 39 82 88 20	
11	समुदायिक शौचालय सफाई कर्मी	01	अंजू- 91 15 27 38 97	
12	कोटेदार	01	अंसार अहमद- 99 19 16 12 47	
13	सफाई कर्मी	01	चन्द्र कली -95 65 89 67 64	
14	BDC मेम्बर	01	जुनेर अहमद -87 26 01 14 08	
15	आशा बहु	01	पूनम ओझा -73 18 23 66 38	

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे है कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच में है कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम.	मद	वर्ष 2022-23
1.	15वां वित्त आयोग	31,13,766 /-
2.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ0एस0आर)	-

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कमरौली की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद 'जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण' अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत **कमरौली** की कार्य योजना तालिका -

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अवधि	योजना का परिचय
1.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	कचरे से पटे 23 कुएं की सफाई, सुरक्षा एवं मरम्मत का कार्य	पुरे महगू में रामकुमार और पुरे अकबर में शिवलाल के कुएं का पानी नहाने और जानवर को पानी पिलाने के उपयोग में लिया जाता है बाकी सब कुओं में कचरा, पालिथीन और करकट से पटे हुए हैं	कमरौली -7 पुरे महगू -3 पुरे अकबर -2 पुरे गरवर -5 मदुपुर -6	2 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2.		कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 45 कूड़ा पात्र रखवाना	कमरौली -32 पुरे महगू -03 पुरे अकबर -03 पुरे गरवर -03 मदुपुर -04	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3.		शौचालय निर्माण (विकलांगजन)	महिला / पुरुष एवं विकलांग हेतु शौचालय निर्माण	प्राथमिक विद्यालय के पास	6 माह	15वां वित्त आयोग
4.		जैविक / अजैविक कूड़ा प्रबंधन केन्द्र	2 स्वयं सहायता समूह द्वारा	कमरौली	3 माह	15वां वित्त आयोग

5.	नाडेप जैविक खाद का पिट निर्माण	ग्राम पंचायत की जमीन में संरचना का निर्माण मृदा में नमी बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 45 वर्मी कम्पोस्ट एवं 20 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	नाडेप तालाब एवं गड़ही के पास, वर्मी लाभार्थी का घर कमरौली -24 मदुपुर -6 पुरे गरवर -5 पुरे महगू -5 पुरे अकबर -5	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरे गा/कृषि विभाग
6.	हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 15 हैण्डपम्पों को रीबोर करना	लाभार्थी का घर कमरौली - 05 मदुपुर -02 पुरे गरवर 03 पुरे महगू -4 पुरे अकबर -01	4 माह	15वां वित्त आयोग
कम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अवधि	योजना का परिव्यय
8.	जलनिकासी हेतु मोटे साइफन को लगवाना	गंदे पानी के गांव से बाहर निकास हेतु मोटे साइफन लगवाना	चन्नौई ताल (बंगला ताल) से रेलवे ट्रैक तक	1 माह	15वां वित्त आयोग/मनरे गा
9.	नाला निर्माण	निर्मला के घर से हंसराज के घर तक 100 मीटर	महगुपुर	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त
10.	नाला निर्माण	फायर ब्रिगेड से बिजली पावर हाउस तक 2 किमी	कमरौली	2.5माह बरसात के बाद	15वां वित्त
11.	नाला सफाई एवं खुदाई	पुरे महगू से पुरे अकबर तक 1.5 किमी	पुरे महगू से पुरे अकबर	1 माह	15वां वित्त

12.		गंदे पानी के निकासी हेतु संरचना	पानी निकासी हेतु संरचना, मोटे पाइप, सीमेंटेड मोहमद जमा के घर से लैनिङिंग तक 200 मीटर	कमरौली	2 माह बरसात के बाद	15वां विल्ट
-----	--	---------------------------------	--	--------	--------------------	-------------

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अवधि	योजना का परिचय
13.	सेक्टर 2- बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	ग्राम पंचायत में एक ही आंगनबाड़ी केंद्र है और जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी बच्चों को समय से सुबिधा मिलने में परेशानी होती है	दो आंगनबाड़ी केन्द्रों का और निर्माण करवाया जाय	कमरौली-1 मदुपुर -1	6 माह	15वां वित्त आयोग
14.	सोख्ता गढ़डा	सोख्ता गढ़डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 20 सोख्ता गढ़डा	कमरौली -9 मदुपुर -04 पुरे गरवर - 02 पुरे महगू - 03 पुरे अकबर -02	1 माह	15वां वित्त एवं /मनरेगा
15.	तालाब संरक्षण	तालाब संरक्षण	2 तालाब का संरक्षण का कार्य (सफाई, चौहद्दी, चबूतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य) गोधटवा पोखरा (1.5 एकड़) चौड़हिया पोखरा (1 एकड़)	1. गोघटवा पोखरा 2. चौड़हिया पोखरा	3 माह जून -अगस्त	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
16.	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण (0.35 एकड़)	पुरे अकबर	3 माह जून -अगस्त	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
17.	सड़क का उच्चीकरण	सड़क का उच्चीकरण	सलीम हाजी के घर से सफीक के घर तक 200 मीटर (2 फिट ऊँचा) आरसीसी	कमरौली	2.5 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवं मनरेगा
18.	सड़क का उच्चीकरण एवं आरसीसी/ इन्टरलॉकिंग	सड़क का उच्चीकरण एवं आरसीसी/ इन्टरलॉकिंग	मजीद हाजी के घर से रियाज हाजी के घर तक 150 (2 फिट ऊँचा) मीटर आरसीसी	कमरौली	2.0 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवं मनरेगा

19.		सड़क का आरसीसी/इन्टरलॉकिंग	मुनीर के घर से जाबिर के घर तक 400 मीटर आरसीसी/इन्टरलॉकिंग	कमरौली	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवे मनरेगा
20.		सड़क का आरसीसी/इन्टरलॉकिंग	मेहताब के घर से हामिद के घर तक 400 मीटर आरसीसी/इन्टरलॉकिंग	पूरे गरवर	1 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं मनरेगा
21	सेक्टर 2- बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	सड़क का इन्टरलॉकिंग	मो. जहीर के घर से इशहाक के घर तक 80 मीटर इन्टरलॉकिंग	पूरे गरवर	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं मनरेगा
22.		सड़क का इन्टरलॉकिंग	हाजी मजीद के घर से रियाज हाजी के घर तक 150 मीटर	कमरौली	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं मनरेगा
23.		सड़क का मरम्मत कार्य	रोड न .4 से पूरे महगू तक 500 मीटर	पूरे महगू	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं मनरेगा
24.		मेड़बंदी कर वृक्षारोपण	छायादार, फलदार एवं टिम्बरवाले वृक्षों का रोपण जाली के साथ पौधों को सुरक्षा	कमरौली मदुपुर पूरे गरवर पूरे महगु पूरे -अकबर	3 माह जून -अगस्त	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
25.		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	125 घरों के छतों पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था	125 लाभार्थी का घर कमरौली -80 मदुपुर -15 पूरे गरवर -10 पूरे महगु -10 पूरे -अकबर -10	3 माह	15वां वित्त
26.	सेक्टर 3- आजीविका, कृषि, पशुपालन	स्थाई पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर 5 पशु की क्षमता वाले 20 पशु आश्रयस्थल का निर्माण	सभी टोले पर	6 माह	15वां वित्त आयोग

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत **कमरौली** की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती यासमीन द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 16.03.2023 को **मदुपुर – मोहम्मद अली के बाग में** खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत **कमरौली** के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 16.03.2023 को **मदुपुर –मोहम्मद अली के बाग में** खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस ग्राम पंचायत के सभी **पांचो** मजूरों से कुल 122 लोगों (पुरुष-43 , महिला-56 एवं बच्चे- 23) ने भाग लिया।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

ट्रान्जेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित **ग्राम विकास अधिकारी** , ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, , 06 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के **पांचो** मजूरों- **कमरौली,मदुपुर,पुरे अकबर,पुरे गरवर और महगुपुर**, का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर **मदुपुर** उसके पश्चात् **महगुपुर,पुरे अकबर,पुरे गरवर,एव कमरौली** भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। **कमरौली से मदुपुर 1 किमी,मदुपुर से पुरे गरवर 500 मीटर,पुरे गरवर से पुरे अकबर 500 मीटर, पुरे अकबर से महगु पुर 300 मीटर है.**



विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 02 देखें।

सामाजिक मानचित्रण

सभी मजदूरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में स्थित खेलकूल मैदान परिसर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	380.185 हे०	पांचो पुरवा बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	5	कमरौली, पुरे महगू, पुरे अकबर, पुरे गरवर, मदुपुर
कुल घरों की संख्या	670	कमरौली (490) पुरे महगू (35 घर) पुरे अकबर (40 घर) पुरे गरवर (45 घर) मदुपुर (60 घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	633	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।

कुल कच्चे घरों की संख्या	37	कमरौली (23) पुरे महगू (03 घर) पुरे अकबर (06 घर) पुरे गरवर (05 घर) मदुपुर (0 घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	195	कमरौली (125) पुरे महगू (10 घर) पुरे अकबर (25 घर) पुरे गरवर (15 घर) मदुपुर (20 घर)
विकलांग जनों की संख्या	22	12 महिला, 10 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	48	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	60	कमरौली (30) पुरे महगू (05 घर) पुरे अकबर (10 घर) पुरे गरवर (07 घर) मदुपुर (08 घर)



जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	170
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	392
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	108
कुल घरों की संख्या	670

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 03 देखें।

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत **कमरौली** की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती **यासमीन** द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 16.03.2023 को **मदपुर – मोहम्मद अली के बाग में** खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत **कमरौली** के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 16.03.2023 को **मदपुर – मोहम्मद अली के बाग में** खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 122 लोगों (पुरुष-43, महिला-56 एवं बच्चे-23) ने भाग लिया।



इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती **यासमीन** ने किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम **विकास अधिकारी** श्री **सुभाष चन्द्र पाण्डेय** जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर

प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहे हैं। उनमें से **अमेठी** नगर जनपद भी सम्मिलित है। **अमेठी** नगर का **कमरौली** ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है।

ग्राम पंचायत कमरौली में ही बी.एच.इ.एल और इन्डोरामा जैसी बड़ी औद्योगिक कम्पनी होने के कारण लोगो को आसानी से योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाता है और लोगो को बाहर जाने की कम आवश्यकता पड़ती है

लेकिन ग्राम पंचायत में ही औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जल का दोहन अधिक मात्रा में कम्पनी करती है जिससे गर्मी के दिनों में कमरौली ग्राम पंचायत का जल स्तर निचे चला जाता है और अधिकतर नल सुख जाते है जिससे ग्राम वासियो में पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

<p>प्रशासनिक समिति अध्यक्ष –श्रीमती यासमीन</p> <p>सदस्य श्री एजाजुल हक श्रीमती नसीरन बानो श्री सुनीता यादव श्री राजेन्द्र कुमार श्री मोहम्मद अहमद श्रीमती रजिया बानो</p>	<p>निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष –श्रीमती यासमीन</p> <p>सदस्य श्री सादाब खान श्री मो. राईश श्री राजेन्द्र कुमार श्री सरवर श्री एजाजुलहक श्रीमती किस्मातुल</p>	<p>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति अध्यक्ष –श्री सादाब खान</p> <p>सदस्य श्रीमती यासमीन श्रीमती नीलम श्रीमती मोमिना श्रीमती उर्मिला श्री सरवर श्री एजाजुलहक</p>
<p>पेयजल, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति अध्यक्ष – श्री एजाजुल हक</p> <p>सदस्य श्रीमती यासमीन श्रीमती परवीन बानो श्री गफफार श्रीमती रजिया बानो श्री सादाब खान श्री सरवर</p>	<p>नियोजन एवं विकास समिति अध्यक्ष – श्रीमती यासमीन</p> <p>सदस्य श्रीमती मोमिना श्री मो. गफफार श्री राजेन्द्र कुमार श्रीमती नीलम श्री मो. राईश श्रीमती नसीरन बानो</p>	<p>शिक्षा समिति अध्यक्ष – श्री सादाब खान</p> <p>सदस्य श्रीमती नसीरन बानो श्री किस्मातुल श्री एजाजुलहक श्रीमती परवीन बानो श्रीमती सुनीता यादव श्री सादाब खान</p>

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम
1.	श्रीमती यासमीन बानो , ग्राम प्रधान
2.	श्री एजाजुल हक , ग्राम पंचायत सदस्य
3.	नसरीन बानो , ग्राम पंचायत सदस्य
4.	श्रीमती उर्मिला , ग्राम पंचायत सदस्य
5.	श्री सरवर , ग्राम पंचायत सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता यादव , ग्राम पंचायत सदस्य
7.	श्रीमती परवीन बानो , ग्राम पंचायत सदस्य
8.	श्रीमती नीलम ग्राम पंचायत सदस्य
9.	श्री सादाब खान ग्राम पंचायत सदस्य
10.	श्री किस्मातुल ग्राम पंचायत सदस्य
11.	श्री राईश ग्राम पंचायत सदस्य
12.	श्री मो. अहमद , ग्राम पंचायत सदस्य
13.	श्री गफफार , ग्राम पंचायत सदस्य
14.	श्रीमती मोमिना , ग्राम पंचायत सदस्य
15.	श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सदस्य
16.	श्रीमती रजिया बानो , ग्राम पंचायत सदस्य

संलग्नक-2

ट्रान्जेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित **ग्राम विकास अधिकारी**, ग्राम प्रधान, 06 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के **पांचो** मजरों— **कमरौली, मदुपुर, पुरे अकबर, पुरे गरवर और महगुपुर**, का ट्रान्जेक्ट वाक किया। पंचायत भवन से यह वाक शुरूकर **मदुपुर** उसके पश्चात् **महगुपुर, पुरे अकबर, पुरे गरवर, एव कमरौली** भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। **कमरौली से मदुपुर 1 किमी, मदुपुर से पुरे गरवर 500 मीटर, पुरे गरवर से पुरे अकबर 500 मीटर, पुरे अकबर से महगुपुर 300 मीटर**

ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

पुरे महगु	पांचो टोलों
-----------	-------------

	<p>कमरौली ग्राम पंचायत के महगुपुर में 35 घर है। सभी पक्के मकान है, जानवरों एवं भूसा आदि रखने हेतु लोगों न कच्चे कमरे भी बनाएं है। मोतीलाल के घर के पास सड़क पर जल जमाव है जिससे 5 लोगो के घर में सिलन हमेसा बनी रहती है और आवा गमन भी बाधित होता है</p> <p>ग्राम पंचायत कमरौली के उत्तर तरफ पुरे अकबर ,पुरे गरवर ,महगुपुर,मदुपुर स्थिति है गांव में कुंआ एवं हैण्डपम्प, दिखा। लोग विभिन्न कार्यों हेतु पानी निकाल रहे थे। तीन कुंए सही स्थिति थोड़ी मात्रा में पानी दे रहे हैं। पुरे ग्राम पंचायत में गेहू, लाही, चना , पालक, मूली, बैंगन, मिर्चा, धनिया भी दिखा। कुछ छुट्टा पशु विचरण कर रहे थे। इसके अलावा गाय, बकरी, भैंस,मुर्गी फार्म में मुर्गी आदि भी है।</p>
ताल-तलैया	<p>7 तालाब</p> <p>एक तालाब प्रधान यास्मीन के घर के पास है</p> <p>एक तालाब राम्फेराऊ के घर के पास में है</p> <p>एक तालाब बड़े मिया के मशीन के पास में है</p> <p>एक बरगदहा के पास में है</p> <p>एक पुरे महगू में दुर्गा जी के मंदिर के पास में है</p> <p>एक सगीर के मशीन के पास है</p> <p>अहमद हसन के माशीन के पास है</p>
नला	सीमेन्टेड मोहमद जमा के घर से लैन्ड्रिंग तक 200 मीटर
हरित क्षेत्र बाग-बगीचा	ग्राम पंचायत के भ्रमण में हरित क्षेत्र कम देखने को मिले। कमरौली से पुरे अकबर पुर जाते समय मोहम्मद अली के कुछ फल दर वृक्ष मिले जिसमे खुली बैठक और मैपिंग का कार्य ग्राम पंचायत के लोगो के साथ किया गया
भौतिक संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> • कमरौली गाव के विचो बीच से वाराणसी से लखनऊ को राजकीय राज मार्ग जाती है कमरौली के दक्षिण दिशा में BHEL कम्पनी है और उसी के बगल में इंडोरामा कम्पनी है • कमरौली ग्राम पंचायत में एक आगनबाड़ी केंद्र है और 5 आगन बाड़ी कार्यकत्री है एक आगनबाड़ी केंद्र होने के कारण एक आगन बाड़ी कार्यकत्री कम्पोजिट विद्यालय मे और तीन आगनबाड़ी कार्यकत्रि निजी स्थान पर चलाती है



संलग्नक-3

सामाजिक मानचित्रण

सभी मजदूरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित खेलकूल मैदान के परिषर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	380.185 हे०	पांचो पुरवा , बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	5	कमरौली , पुरे महगू ,पुरे अकबर , पुरे गरवर , मदुपुर
कुल घरों की संख्या	670	कमरौली (490) पुरे महगू (35 घर) पुरे अकबर (40 घर) पुरे गरवर (45 घर) मदुपुर (60 घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	633	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।
कुल कच्चे घरों की संख्या	37	कमरौली (23) पुरे महगू (03 घर) पुरे अकबर (06 घर) पुरे गरवर (05 घर) मदुपुर (0 घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	195	कमरौली (125) पुरे महगू (10 घर) पुरे अकबर (25 घर) पुरे गरवर (15 घर) मदुपुर (20 घर)

विकलांग जनों की संख्या	22	12 महिला, 10 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	48	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	60	कमरौली (30) पुरे महगू (05 घर) पुरे अकबर (10 घर) पुरे गरवर (07 घर) मदुपुर (08 घर)

जातिगत/श्रेणीगत विवरण


सामान्य जाति के घरों की संख्या	170
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	392
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	108
कुल घरों की संख्या	670

ग्राम पंचायत कमरौली जगदीशपुर बाजार से 8 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहां मुस्लिम, धोबी, नाउ, श्रीवास्तव, यादव, चौरसिया, कहार, दलित आदि जातियां हैं।

कुल 195 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। पुरे महगू में नाली के ना होने के कारण मोती लाल के घर के पास गन्दे पानी की निकासी की समस्या होती है, सीपेज के कारण पक्के मकान खराब हो रहे हैं। ग्राम पंचायत कमरौली के लगभग 06 ऐसे परिवार रामफल पिता बृजमोहन, सिरताज अहमद पिता साकिर अली, सकील अहमद पिता निसरू, गंगा प्रसाद पिता मोदई, श्यामा देवी पति महकुलाल, अक्तर जहा पति अली शेख भूमिहीन हैं।

- कमरौली के एक व्यक्ति गुलाब बाबु पुत्र जलील अहमद और पुरे गरवर साहेब देई के पास रहने के लिए न तो कच्चा मकान है, ना ही पक्का मकान है गांव में एक कमरा लेकर किराये पर रहते हैं।
- साहेब देई पति परसुराम का प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पैसा रिलीज हो गया है लेकिन जमीन न होने के कारण बन नहीं पा रहा है
- 22 विकलांगजनों में 10 महिला एवं 12 पुरुष हैं। सभी आंशिक रूप से विकलांग हैं।
- 78.53 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते हैं जबकि 50 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 48 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया हैं।

आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	45
छोटे उद्योग-धन्धे	80
कृषि आधारित	238
कला एवं शिल्पकार	3
पशुपालन	206
लोकल दुकान	35
गैर कृषि मजदूरी	53
अन्य	10



संलग्नक-4

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत **कमरौली** का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि **जल संकट** एक ऐसी आपदा है, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है-

क्रम	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1979	सूखा	बारिश कम हुई जल संचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण	—	195 लोग प्रभावित	103 हे० खेत प्रभावित	
2	2020	ओला बृष्टि	दिनांक 17-09-2022 को एक ही दिन में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई	-	-	लगभग 90 हेक्टेयर	
3	2021, 2022	सूखा	बारिश कम हुई जल संचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण	—	—	103 हे० खेत प्रभावित	धान की फसल में अतिरिक्त सिंचाई से लागत में वृद्धि

संलग्नक-5

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	238	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 37 एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। • एक टोले से दूसरे टोले का आवागमन बन्द होने से कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है। • धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। • जलजमाव वाले क्षेत्र में पैदावार प्रभावित होता है।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • खेत की खड़ी फसल सूख जाता है। • सिंचाई पर खर्च अधिक लगता है। • फसलों की विकास कम होता है है। • सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • फसलें झुलस जाती है।

						<ul style="list-style-type: none"> ● आलू में पाला और अगेती एव पछेती झुलसा की समस्या होती है। ● सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है। ● फसलों का बढ़वार प्रभावित हो जाती है।
2.	मजदूरी	53	जल जमाव वर्षा के समय			<ul style="list-style-type: none"> ● आवागमन बाधित होता है। रोजगार बाधित होता है। ● कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है। ● मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलती है।
			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है। ● खान-पान पर प्रभाव पड़ता है। ● आजीविका प्रभावित होती है। ● आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● काम नहीं मिल पता है। ● स्वास्थ्य खराब रहता है। ● खर्चा बढ़ जाता है।
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)	206	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ● गाय-भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। ● चारा कम हो जाता है। ● तपती धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का होना। ● मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है। चूजे मर जाते हैं।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुचारे की समस्या हो जाती है। ● पशुओं में बीमारियां हो जाती हैं। ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ● मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो जाती है।

क्लाइमेट स्मार्ट के रूप में विकसित होगी कमरौली पंचायत

अमित पांडेय • कमरौली

प्रदेश सरकार की ओर से क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में दस जनपद की दस ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें जिले की कमरौली ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। यह ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने का काम करेंगी।

वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत में कृषि, जल संसाधन, बैकलिपिक ऊर्जा, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्य कराएंगी। जिससे इस पंचायत को लाभ मिलेगा।

इससे जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका होगी।

जल्द तैयार की जाएगी रूपरेखा



कमरौली ग्राम पंचायत का लगा बोर्ड • जगहरण

श्रीकांत, डीपीआरओ • जगहरण

ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवी संस्था स्थान पानी के साथ नियम शर्तों पर एमओयू साइन किया है, जल्द ही कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जल्द ही कार्य की रूपरेखा तैयार कर

ली जाएगी।

इसके अनुरूप ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठी व अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत निधि से भी काम होंगे। इस बाबत ग्राम विकास अधिकारी सुभाष पांडेय ने बताया कि एमओयू साइन किया जा चुका है, जल्द ही रूपरेखा बना कर काम शुरू कराया जायेगा।

प्रदेश सरकार की ओर से प्रथम चरण में जिले की कमरौली को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत चयन किया गया है, जिसे माडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जल्द ही कार्रवाई संस्था के साथ कार्य शुरू कराया जायेगा। जिसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत का असर धरातल पर दिखने लगेगा।

श्रीकांत यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी अमेठी।

सरकार की मंशा के अनुरूप होगा काम

ग्राम प्रधान यासमीन ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत का चयन क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के लिए पहले चरण में हुआ है। यह राब की बात है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करके ग्राम पंचायत को विकसित करने का प्रयास करेंगी, जिससे हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा।

क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने की कार्ययोजना

संवादसूत्र, कमरौली, अमेठी : प्रदेश सरकार की ओर से क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रदेश में प्रथम चरण में दस जनपद की दस ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जिसमें कमरौली ग्राम पंचायत का भी चयन हुआ है। यह पंचायत अब पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने का काम करेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत भवन में पानी संस्था के प्रबंधक ने ग्राम प्रधान व विकास अधिकारी के साथ बैठक कर कार्य योजना की रूप रेख तैयार की है। इसके बाद सरकार की मंशा के अनुरूप ग्राम सभा में विकास कार्य के साथ-साथ ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।

वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत में कृषि जल संसाधन बैकलिपिक ऊर्जा जलवायु एवं आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्य कराएंगी। इससे जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभाव को कम करने



कमरौली पंचायत भवन में कार्य योजना तैयार करते ग्राम विकास अधिकारी व अन्य • जगहरण

इनकी भी सुनिए ग्राम प्रधान यासमीन ने बताया कि पानी संस्था के सहयोग से कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम कराया जाएगा। जिससे ग्राम सभा के लोगों को लाभ मिलेगा।

यह है कार्ययोजना

ग्राम पंचायत विकास योजना में नाली, इंटर लाकिंग, तालाब, पौधरोपण, शो कपीट, कूड़ा प्रबंधन, कचरा निस्तारण, शौर्य उर्जा, जागरूकता की कार्य योजना तैयार हो रही है। इसको सरकार की मंशा के अनुसार धरातल पर उतारा जाएगा। जिससे जनपद की और ग्राम पंचायतें भी इस माडल को देखकर प्रेरणा लें।

में मदद मिलेगी। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी सुभाष चंद्र पांडेय व स्वयंसेवी पानी संस्था के प्रबंधक राजीव मिश्रा की टीम के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम

सभा ने संयुक्त रूप से लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवी संस्था स्थान पानी के साथ नियम शर्तों पर एमओयू साइन किया था। अब कार्य योजना बनाकर माडल बनाने का काम कराया जाएगा।

रिपोर्ट टीम का नाम

1. श्री राजीव कुमार मिश्र
2. श्री अवधेश कुमार दुवे
3. श्री जाकिर अली

संस्था का नाम - पानी संस्थान अयोध्या

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁰ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹¹ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियां चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹² = ₹40,000/हेक्टेयर⁹³</p>	

90 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

91 लागत बाजार भाव के अनुसार

92 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

93 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए⁹⁴ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण⁹⁵ = ₹90,000	

94 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

95 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत⁹⁶: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁷ = ₹35,000 1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत¹¹ = ₹35,000</p>	
---	---------------------------------------	--	--	--

96 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

97 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ⁹⁸ : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m ³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

सतत एवं उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ⁹⁹ : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	

98 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

99 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
		चरण 2: a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव e. साझेदारी को बढ़ाना	प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁰ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰¹ = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ¹⁰² = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹⁰³ = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

100 लागत बाजार भाव के अनुसार

101 एसबीएम दिशा-निर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

102 लागत बाजार भाव के अनुसार

103 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰⁴:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ¹⁰⁵: ₹35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

104 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

105 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

स्वच्छ, सत्तत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।¹⁰⁶</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>(प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ टन CO₂</p>
	<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹⁰⁷ = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

106 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

107 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत ¹⁰⁸ = ₹1 लाख प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत ¹⁰⁹ = ₹3 से 5 लाख	डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO ₂ e)

108 लागत बाजार दरों के अनुसार

109 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छ खाना पकाना	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000¹¹⁰</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹¹¹</p>	

110 लागत बाजार दरों के अनुसार

111 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000 ¹¹²	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो: ₹8-15 लाख प्रति यविनट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹¹³	
---	---	--------------------------	--	--

112 बाजार दर के अनुसार लागत

113 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



- लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।
- लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।
- लक्ष्य 2.a: अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



- लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।
- लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता




- लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।
- लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।
- लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना
- लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना
- लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना
- लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



- लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना
- लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना
- लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



- लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



- लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



- लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली
- लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना
- लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



- लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना
- लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर

उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

- लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।
- लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।
- लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



- लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।
- लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।
- लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



- लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
- लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।
- लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल, (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फीलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

नोट्स





